रजि० सं० डी-(डी)-73

REGISTERED NO. D-(D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 1977 (भाद्रपद 5, 1899)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 1977 (BHADRA 5, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 जुलाई 1977

सं० ए०-32013/3/76-प्रशा० I—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-5-77 के अनुक्रम में भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी श्री एम० एस० थान्वी को, राष्ट्रपति द्वारा 1-7-77 से अथवा आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

प्र० ना० मुखर्जी
अवर सचिव,
संघ लोक सेवा अयोग

नई दिल्ली 110011, दिनांक 27 जुलाई 1977

सं० ए० 32014/1/77-प्रशा० III(1)—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-6-1977 के अनुक्रम में, संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री आर० के० मागो, को, राष्ट्रपति द्वारा 17-7-77 से 12-8-77 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

सं० ए०-32014/1/77-प्रशा० III(2)—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-5-77 के अनुक्रम में, संघ लोक सेवा अयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री जी० के० सामन्ता को, राष्ट्रपति द्वारा 17-7-77 से 31-8-77 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

सं० ए०-32014/1/77-प्रशा० III(3)—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-5-1977 के अनुक्रम में, संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री बी० बी० दास सरमा को, राष्ट्रपति द्वारा 13-7-77 से 27-8-77 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

दिनांक 5 अगस्त 1977

सं० ए०-32014/1/77-प्रशा० III(2)—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-7-1977 के अनुक्रम में, संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एच० एस० भाटिया को, राष्ट्रपति द्वारा 14-8-77 से 31-8-77 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप मे कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

सं० ए० 32014/1/77-प्रशा० III(3)—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-7-77 के अनुक्रम में, संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री आर० के० भागो को, राष्ट्रपति द्वारा 13-8-77 से 31-8-77 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

सं० ए०-32014/1/77-प्रशा० III(4)—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-7-1977 के अनुक्रम में, संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री आई० जे० शर्मा, को, राष्ट्रपति द्वारा 12-8-1977 से 30-8 77 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

प्रभात नाथ मुखर्जी, अवर सचिव
(प्रशासन प्रभारी)
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय
(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 1977

सं० के 11/71 प्रशासन-5—शाह जांच आयोग में नियुक्त हो जाने पर, सर्वश्री के० जी० विद्यासागर, ए० चक्रवर्ती, तथा ए० के० मजूमदार, पुलिस उप अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली की सेवाएं दिनांक 25 जून, 1977 के पूर्वाह्न से शाह जांच आयोग को सौंप दी गई है।

दिनांक 22 जुलाई 1977

सं० ए०-19020/3/75-प्रशासन-5—पुलिस उप महानिदेशक (रेन्ज), दिल्ली के रूप में नियुक्ति हो जाने पर, श्री वाई० राजपाल, पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली (भारतीय पुलिस सेवा मध्य प्रदेश-1957) की सेवाएं दिनांक 20 जून, 1977 के पूर्वाह्न से दिल्ली प्रशासन को सौंप दी गई हैं।

उन्होंने दिनांक 20-6-77 के पूर्वाह्न में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अपने पद का कार्यभार त्याग दिया।

पी० एस० निगम, प्रशासन अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल
नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 अगस्त 1977

सं० O-II-1068/77-स्थापना—राष्ट्रपति, डाक्टर के० जगन्नाथ राव को अस्थायी रूप में आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में जी० डी० ओ० ग्रेड II (डी० एस० पी०/कम्पनी कमांडर) के पद पर 12-7-1977 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

ए० के० बन्धोपाध्याय, सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
नई दिल्ली 24, दिनांक 5 अगस्त 1977

सं० ई० 38013(2)/3/77-कार्मिक—देवास से स्थानान्तरित होने पर, श्री बी० जी० थत्ते ने 5 जुलाई, 1977 के अपराह्न से, के० ओ० सु० ब० यूनिट, बैंक नोट प्रैस केरा कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

ली० मि० बिष्ट, महानिरीक्षक

वित्त मन्त्रालय
(अर्थ विभाग)
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय
नासिक रोड, दिनांक 16 जुलाई, 1977

सं० 696/ए०—श्री शिव राज शर्मा को क्रय अधिकारी के पद पर भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में सुधारित वेतन श्रेणी रु० 840-40-1000-ई० रो०-40-1200 में दिनांक 15 जुलाई, 1976 से नियुक्त किया जाता है।

डी० सी० मुखर्जी, महा प्रबन्धक
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध
नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई, 1977

सं० प्र० 1/2(1)/V1799—महा लेखाकार, वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध, नई दिल्ली श्री एम० आर० गुप्ता, अनुभाग अधिकारी (लेखा एवं लेखा परीक्षा) को 6-7-77 पूर्वाह्न से वरिष्ठ उप महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध, बम्बई के कार्यालय में 840-40-1000-ई० बी०-40-1200 रु० के वेतनमान में अग्रिम आदेश तक, अनन्तिम आधार पर अस्थायी लेखाधिकारी के रूप में पदोन्नत करते हैं।

दिनांक 5 अगस्त 1977

सं० प्र० 1/2(1)/V/1848—महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध, नई दिल्ली श्री के० आर० बर्मन (अनुभाग अधिकारी लेखा एवं लेखा परीक्षा) को 15-7-77 पूर्वाह्न से वरिष्ठ उप महालेखाकार वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध, कलकता के कार्यालय में 840-1200 रु० के वेतन मान में अनन्तिम आधार पर अस्थायी लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत करते हैं।

एस० एस० मान, उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय, कर्नाटक
बेंगलूर, दिनांक 2 अगस्त, 1977

सं० स्थापना 1/अ4/77-78/382—महालेखाकार, निम्नलिखित एक स्थायी अनुभाग अधिकारी को उनके वरिष्ठों के बिन

प्रतिकूल प्रभाव डाले अगले आदेश जारी होने तक अस्थायी क्षमता में लेखा अधिकारियों के पद में, वे उन पद का कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक से स्थानापन्न रूप में पदोन्नत करते हैं :—

श्री टी० ए० श्रीनिवासन ।

एम० अ० सौदरराजन, वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद, दिनांक 3 अगस्त 1977

सं० ई० बी० I/8-312/77-78/182—महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री आर० राघवन को महालेखाकार आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा वेतनमान रु० 840-40-1000ई० बी०-40-1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 30-7-77 (अपराह्न) से जब तक आगे आदेश न दिये जाएं, नियुक्त किया जाता है । यह पदोन्नति उनसे वरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है ।

एस० आर० मुखर्जी, प्रवर उप-महालेखाकार (प्रशा०)

कार्यालय, मुख्य लेखा परीक्षक

द० म० रेलवे

सिकन्दराबाद, दिनांक 1 अगस्त 1977

सं० एच०/ए०/II/5/II/638—श्री ए० सन्दनासामी, लेखा परीक्षा अधिकारी, अधिवार्षिक की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप 31-7-77 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हुए ।

डी० एन० प्रसाद, उप मुख्य लेखा परीक्षक

भारतीय आर्डनेंन्स फैक्टरियां सेवा

महानिदेशालय, आर्डनेन्स फैक्टरियां

कलकत्ता-700016, दिनांक 3 अगस्त 1977

सं० 40/77/जी०—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की ए० डी० जी० ओ० एफ० ग्रेड-I, जी० एम० ग्रेड-I के पद पर प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीखों से पुष्ट करते है :—

1. श्री जे० बी० सक्सेना, स्थानापन्न, महाप्रबन्धक (स्लेक्शन ग्रेड)—पहली नवम्बर, 1974 ।
2. श्री एम० पी० सिन्हा, स्थानापन्न महाप्रबन्धक (स्लेक्शन ग्रेड)—पहली अप्रैल, 1975 ।
3. श्री पी० डी० पन्त, स्थानापन्न महाप्रबन्धक (सलेक्शन ग्रेड) (सेवा निवृत्त)—14 अक्तूबर, 1975 ।
4. श्री आर० जी० देवलालीकर, स्थानापन्न महाप्रबन्धक (स्लेक्शन ग्रेड)—पहली फरवरी, 1975 ।
5. डाक्टर बी० एम० आई० नामबीसन्, स्थानापन्न महाप्रबन्धक (स्लेक्शन ग्रेड I)—पहली अप्रैल, 1976 ।
6. श्री जे० सी० मारवाहा, स्थानापन्न ए० डी० जी० ग्रेड-I महाप्रबन्धक ग्रेड-I—पहली मई, 1976 ।

एम० पी० आर० पिल्लाय, सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टिरियां

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1977

आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण

(स्थापना)

सं० 6/302/55-प्रशा० (रा०)/5718—राष्ट्रपति, कुमारी एस० के० ग्रेवाल, उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से भिन्न) को मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली में बिल्कुल तदर्थ और अस्थायी आधार पर 1-7-77 से और आगे तीन माह के लिए अथवा जब तक स्थायी प्रबन्ध न हो जाए, इसमें जो भी पहले हो, उस तक के लिए संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के रूप में नियुक्त करते हैं ।

ह०/अपठनीय

मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई, दिनांक 2 अगस्त 1977

सं० सी० ई० आर०/6/77—सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खण्ड 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से मैं एतद्द्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० टी० सी० (4)/58 दिनांक 7 मार्च, 1958 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूं ।

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तंभ 2 में क्रम संख्या 2 के सामने की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(1) संयुक्त निदेशक उद्योग (वस्त्र), उपनिदेशक उद्योग (वस्त्र)

(2) सभी क्षेत्रीय अधिकारी (उद्योग) अपर तथा संयुक्त निदेशक उद्योग और उप निदेशक उद्योग

(3) सभी परियोजना अधिकारी (उद्योग) (ग्रा० उ० प०)

(4) सभी सामुदायिक परियोजना अधिकारी

(5) सभी जिला उद्योग अधिकारी

गौरी शंकर भार्गव, संयुक्त वस्त्र आयुक्त

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

कार्यालय, विकास आयुक्त

(लघु उद्योग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 1977

सं० क०-19018/261/76-प्रशासन (राजपत्रित)—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रपति 2 जून, 1977 के पूर्वाह्न से श्री एम० महाबला को लघु उद्योग विकास संगठन में उपनिदेशक (यांत्रिक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपनिदेशक (यांत्रिक) के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप श्री महाबला ने 2 जून, 1977 के पूर्वाह्न में लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचूर में उपनिदेशक (यांत्रिक) के पद का कार्यभार संभाल लिया।

वी० वेंकटरायुलु, उप निदेशक (प्रशासन)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन शाखा-1)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1977

सं० प्र० 1/1(86)/VII—श्री अरदमन सिंह, निदेशक पूर्ति (भारतीय पूर्ति सेवा के ग्रेड-I) की उपनिदेशक पूर्ति (भारतीय पूर्ति सेवा के ग्रेड-II) के पद पर अवनति को जो आदेश इस महानिदेशालय की दिनांक 27-5-77 की अधिसूचना संख्या प्र० 1/1(86) में जारी किए गए थे रद्द किए जाते हैं।

सं० प्र० 1/1(1100)—राष्ट्रपति, कृषि आयकर और बिक्रीकर कार्यालय मून्नर, देवी कोलम में बिक्रीकर निरीक्षक श्री सी० करुणाकरण को दिनांक 18-7-77 (पूर्वाह्न) से और आगामी आदेशों के जारी होने तक पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में सहायक निदेशक (बिक्रीकर) (ग्रेड-I) के रूप में नियुक्त कर करते हैं।

कीरत सिंह, उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

(प्रशासन शाखा 6)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1977

सं० ए०-17011(124)/77 प्र०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा उत्तरी निरीक्षण मंडल, नई दिल्ली में स्थायी भंडार परीक्षक (इंजी०) श्री के० के० सभरवाल को दिनांक 22 जुलाई, 1977 के अपराह्न से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय के अधीन उत्तरी निरीक्षण मंडल में सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 29 जुलाई 1977

सं० ए०-11011/17/77-प्र०-6—राष्ट्रपति सेवा निवृत्त सेना अधिकारी ब्रिगेडियर एम० एम० तलवार को पुनर्नियुक्ति के आधार पर दिनांक 2 जून, 1977 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली के निरीक्षण स्कंध में रु० 2250-125/2-2500 के वेतनमान में विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. विशेष कार्याधिकारी के रूप में ब्रिगेडियर एम० एम० तलवार की नियुक्ति को पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय (पूर्ति विभाग) द्वारा उनके दिनांक 31-1-1977 के पत्र सं० आई०-12012/8/76 स्था० II द्वारा सृजित पद के मद्दे समायोजित किया गया है।

सूर्य प्रकाश, उप निदेशक (प्रशासन)

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 3 अगस्त 1977

सं० ए०-19012(85)/77-स्था०-ए०—इस विभाग के निम्नसंख्या क्रमांक अधिसूचना दिनांक 26 मई 1977 के संदर्भ में भारतीय खान ब्यूरो के स्थायी अधीक्षक, श्री जी० सी० शर्मा की 18 जून 1977 तक तदर्थ आधार पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/- के वेतन क्रम में स्थानापन्न सहायक प्रशासन अधिकारी के रूप में आगे तक पदोन्नति की गई है।

दिनांक 5 अगस्त 1977

सं० ए०-19011(10)/70-स्था०—दिनांक 31 मई, 1977 (अपराह्न) को सेवा निवृति की आयु प्राप्त होने पर श्री एम० सी० बासू राय चौधरी, स्थायी खनिज अर्थ शास्त्री तथा स्थानापन्न खनिज अर्थशास्त्री को एतद् द्वारा 31 मई, 1977 के अपराह्न से भारतीय खान ब्यूरो में उन के कार्यभार से मुक्त किया जाता है और तदनुसार उनका नाम इस विभाग की प्रभावी स्थापना से काट दिया जाता है।

दिनांक 6 अगस्त, 1977

सं० ए० 19011(171)/73-स्था० ए०—दिनांक 31 मार्च, 1977 (अपराह्न) को सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर श्री ए० के० राघवाचारी, स्थायी प्रशासन अधिकारी तथा स्थानापन्न वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी को एतद्द्वारा 31 मार्च, 1977 के अपराह्न से भारतीय खान ब्यूरो में उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है और तदनुसार उनका नाम इस विभाग को प्रभावी स्थापना से काट दिया जाता है।

सं० ए०-19011(218)/77-स्था० ए०—राष्ट्रपति श्री वी० के० जैन को 30 जुलाई, 1977 के अपराह्न से स्थानापन्न रूप में भारतीय खान ब्यूरो में रसायज्ञ के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

सं० ए०-19012/94/77-स्था०—भारतीय खनि विभाग के स्थायी प्रधान सहायक श्री आर० एस० पठानीया को दिनांक 30 जुलाई 1977 के अपराह्न से आगामी आदेश होने तक उसी विभाग में स्थानापन्न सहायक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

एस० सी० रणधीर, कार्यालय अध्यक्ष
कृते नियंत्रक

राष्ट्रीय अभिलेखागार

नई दिल्ली-1, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० ख० का० 11/2-1/75-अ-I—श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक रसायनज्ञ (पदक्रम-I) को, दिनांक 1-8-77 से सर्वथा तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से काम करने के हेतु, वैज्ञानिक अधिकारी (वर्ग 2 राजपत्रित) नियुक्त किया जाता है । यह तदर्थ नियुक्ति नियमित अधिकार प्रदान नहीं करेगी और न अन्य उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता और वरिष्ठता संबंधी उद्देश्य के लिए गिनी जाएगी ।

एस० एन० प्रसाद,
अभिलेख निदेशक

विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय एटलस संस्था

कलकत्ता-19, दिनांक 1 अगस्त 1977

सं० 29-16/77-स्था०—निम्नलिखित क्षेत्राधिकारी और वरिष्ठ शोध सहायक राष्ट्रीय एटलस संस्था में विशुद्ध अस्थायी एवं तदर्थ रूप में उनके नामों के समक्ष लिखित अवधि से भावी आदेश होने तक कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाते हैं:—

नाम	नियुक्ति दिनांक
क्षेत्राधिकारी	
1. श्री एस० आर० विश्वास	8-7-1977 (पूर्वाह्न)
वरिष्ठ शोध सहायक	
1. श्री बी० एन० घोष	8-7-1977 (पूर्वाह्न)
2. श्री ए० के० सरकार	8-7-1977 (पूर्वाह्न)
3. श्री जे० बी० सेन	8-7-1977 (अपराह्न)
4. श्री श्री राम	8-7-1977 (पूर्वाह्न)

एम० पी० दासगुप्त,
निदेशक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 1977

सं० 3/43/73-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी एतद्द्वारा श्री लाकपा रिंचो भूटिया को आकाशवाणी, कुर्सियांग में 27 जून, 1977 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० 4/87/77-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी एतद्द्वारा श्री बाला मनजीवि भाणिक्क को आकाशवाणी कोयम्बटूर में 7 जुलाई, 1977 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० 5(18)75-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा कुमारी ऊषा आनन्द को आकाशवाणी, शिमला में 28 जून, 1977 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 8 अगस्त 1977

सं० 5/116/70-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री देव सिंह विमल को आकाशवाणी नजीबाबाद में 15 जुलाई, 1977 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० 4/40/77-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री चन्द्रकान्त सदाशिव बर्वे को आकाशवाणी, पुणे में 21 जुलाई, 1977 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 9 अगस्त 1977

सं० 4/7/77-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा कुमारी एलिस जोथा नपूइ फानाई को आकाशवाणी, एजल में 26 जुलाई, 1977 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० 4/10/77-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा कुमारी वीणा गनपतराव छपलकर को आकाशवाणी, पुणे में 28 जुलाई, 1977 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० 4/58/77-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री विमल चन्द्र गुप्त को आकाशवाणी, जगदलपुर में 25 जुलाई, 1977 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० 4/61/77-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री सुशील राबर्ट बनर्जी को, आकाशवाणी, लखनऊ में 27 जुलाई, 1977 से अगले आदेशों तक, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर, अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं ।

नन्द किशोर भारद्वाज,
प्रशासन उपनिदेशक,
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 1977

सं० 10/12/72-एस-तीन—दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम, नई दिल्ली से वापस लौटने पर, और 10-2-77 से 10-6-77 तक, 91 दिन की छुट्टी के पश्चात्, श्री एस० सी० श्रीवास्तव ने 13-6-77 से क्षेत्रीय अभियंता (उत्तर), आकाशवाणी नई दिल्ली के कार्यालय में सहायक अभियंता का कार्यभार संभाल लिया है।

हरजीत सिंह,
प्रशासन उपनिदेशक,
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1977

सं० 17-11/74-प्रशासन-I—राष्ट्रपति ने श्री एम० के० गुप्ता को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में 24 मई, 1977 पूर्वाह्न से अस्थाई आधार पर आर्किटेक्ट के पद पर आगामी आदेशों तक नियुक्त किया है।

दिनांक 3 अगस्त 1977

सं० ए० 19019/40/76-(ए०आई० आई० एच० पी० एच०) प्रशासन-I—समय पूर्व सेवा निवृत्ति हो जाने से डा० पी० के० दत्ता ने 30 जून, 1977 अपराह्न से अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता से पोषण और जीव विज्ञान के एसोसियेट प्रोफैसर के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सूरज प्रकाश जिन्दल,
उप-निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1977

सं० ए० 11017/1/76-के० स० स्वा० यो०-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० (कुमारी) के० के० सोलंकी को 11 जुलाई, 1977 पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कानपुर में आयुर्वेदिक कार्य-चिकित्सक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 11017/1/76-के०स०स्वा०यो०-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० (श्रीमती) के० एन० ऐश्वर्य अम्मा को 28 जून 1977 पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मद्रास में आयुर्वेदिक कार्य-चिकित्सक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मद्रास में आयुर्वेदिक कार्य-चिकित्सक (तदर्थ) डा० एम० नेमामणी को 28 जून 1977 पूर्वाह्न से उनके पद से रिलीव कर दिया गया था।

सं० ए० 11017/2/76-के० स० स्वा० यो०-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० (कुमारी) बलजीत कलसी को 12 जुलाई, 1977 पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होम्योपैथिक काय-चिकित्सक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

एन० एस० भाटिया,
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1977

सं० ए० 12026/8/77-डी०—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री सी० एस० चव्हाण को 1 जुलाई, 1977 से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सन्ताक्रुज हवाई पत्तन, बम्बई में तकनीकी अधिकारी के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 5 अगस्त 1977

सं० ए० 12025/2/76-डी०—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री सी० सैमुअल देवप्रसाद को 11 जुलाई, 1977 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, बम्बई के पश्चिमी जोन कार्यालय में औषधि निरीक्षक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

एस० एस० गोठोस्कर,
औषधि निरीक्षक (भारत)

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(कृषि विभाग)
विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 1977

मि० सं० 2-II/76-स्थापना (I)—श्री एन० शिवारामा कृष्णन् की सहायक प्रदर्शनी अधिकारी (कोटि प्रथम) के पद पर तदर्थ नियुक्ति दिनांक 16-7-1977 के आगे दिनांक 23-7-1977 तक जारी रही।

चन्द्र प्रकाश,
निदेशक प्रशासन

(ग्राम विकास विभाग)
विपणन और निरीक्षण निदेशालय
(प्रधान शाखा कार्यालय)

नागपुर, दिनांक 3 अगस्त 1977

सं० फा० 5/11/77-वि० II—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सीमा शुल्क अधिसूचना सं० 124 दिनांक 15-9-62 के लिए में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से हरड़, जिसका श्रेणीकरण समय समय पर यथा संशोधित हरड़ श्रेणीकरण और चिह्नन नियम और कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम 1937 (1937 का I) के खण्ड 3 के अधीन सूत्रीकृत उपबन्धों के अनुसार किया जा चुका है, के सम्बन्ध में श्रेणीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

नाम	पद
श्री एम० चक्रबर्ती	सहायक विपणन अधिकारी
श्री पी० जे० चिमलवार	सहायक विपणन अधिकारी
श्री टी० एम० मुस्तफी	उप वरिष्ठ विपणन अधिकारी

जे० एस० उप्पल,
कृषि विपणन सलाहकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय एवं भंडार निदेशक

बम्बई-400001, दिनांक 18 जुलाई 1977

संदर्भ: डीपीएस/2/1(1)/77-प्रशा०/16899—परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशक, इस निदेशालय के हैदराबाद रीजनल यूनिट के निम्नलिखित भंडार पालों को उनमें से प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए, इसी निदेशालय में 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर, सहायक भंडार अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :—

1. श्री वी० बी० नायर, भंडारपाल हैदराबाद रीजनल स्टोर यूनिट	18-10-76 से 16-5-77 तक	श्री सी० सेमुअल सहायक भंडार अधिकारी, जिन की छुट्टी स्वीकृत हो गई है, के स्थान पर।
2. श्री एच० आर० दुआ भंडार पाल, हैदराबाद रीजनल स्टोर यूनिट	8-2-77 से 16-3-77 तक	श्री एम० एन० एच० राव सहायक भंडार अधिकारी, जिनकी छुट्टी स्वीकृत हो गई है, के स्थान पर।
3. श्री आर० सी० नय्यर भंडार पाल, भंडार एकक (क्रय एवं भंडार निदेशालय) परमाणु खनिज प्रभाग	17-5-77 से 30-7-77 तक	श्री सी० सैमुअल, सहायक भंडार अधिकारी के स्थान पर।

दिनांक 27 जुलाई 1977

सं० डी० पी० एस०/23/4/77-स्थापना/17611—परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भण्डार निदेशालय के निदेशक, भारी पानी परियोजना, तलचर के भण्डार यूनिट (क्रय एवं भण्डार निदेशालय) के भण्डारी श्री बी० एल० राव को 3 जून, 1977 के पूर्वाह्न से 12 जुलाई, 1977 के अपराह्न तक उसी निदेशालय में 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 रुपये के वेतनमान में श्री आर० एन० गुहा, सहायक भण्डार अधिकारी जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है, के स्थान पर तदर्थ आधार पर सहायक भण्डार अधिकारी नियुक्त करते हैं।

बी० जी० कुलकर्णी,
सहायक कार्मिक अधिकारी

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली-3, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० ई(1)04393—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नयी दिल्ली में स्थानापन्न अधीक्षक, श्री के० सी० सुबैय्या को 26-7-77 से 13-9-77 तक 50 दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री सुबैय्या, स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी, वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली के कार्यालय में ही तैनात रहेंगे।

सं० ई(1)05481—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नयी दिल्ली में व्यावसायिक सहायक श्री एस० एन० भान को 27-7-77 के पूर्वाह्न से 23-10-77 तक नवासी दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते है।

श्री भान स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी वेधशालाओं के मुख्य कार्यालय, नयी दिल्ली में ही तैनात रहेंगे।

सं० ई(1)05868—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय नयी दिल्ली में व्यावसायिक सहायक श्री चंद्र प्रकाश को 20-7-77 से 7-9-77 तक 50 दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री चंद्र प्रकाश स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नयी दिल्ली में ही तैनात रहेंगे।

सं० ई (1)06059—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नयी दिल्ली में व्यावसायिक सहायक श्री एस० सी० गुप्ता को 15-7-77 के पूर्वाह्न से 2-9-77 तक 50 दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री गुप्ता स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय नयी दिल्ली में ही तैनात रहेंगे।

सं० ई (1)06106—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नयी दिल्ली में व्यावसायिक सहायक श्री बी० दयाल को 30-7-77 के पूर्वाह्न से 17-9-77 तक पचास दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री दयाल, स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी, वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नयी दिल्ली में ही तैनात रहेंगे।

सं० ई(1)06754—वेधशालाओं के महानिदेशक, मद्रास प्रादेशिक मौसम केन्द्र के निदेशक के अन्तर्गत विशाखापत्तनम सी० डब्ल्यू० सी० के श्री एन० रंगाचारी को जो इस कार्यालय की दिनांक 4-5-77 की अधिसूचना संख्या ई(1)06754 के अनुसार 30-6-77 तक सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे थे भारत मौसम सेवा, ग्रुप-बी (केन्द्रीय सिविल सेवा, ग्रुप-बी) में 31 मई, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियमित रूप में नियुक्त करते हैं। श्री रंगाचारी विशाखापत्तनम सी० डब्ल्यू० सी० में ही तैनात रहेंगे।

सं० ई (1) 07540—वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय नयी दिल्ली, भारत मौसम विज्ञान विभाग, में स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी, श्री जी० एस० माही के त्यागपत्र की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप, उन्हें 21 जुलाई,

1977 के अपराह्न से कार्यमुक्त कर दिया गया ताकि वे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब) में नियुक्ति ग्रहण कर सकें।

सं० ई (1) 08054—वेधशालाओं के महानिदेशक, निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, नागपुर, कार्यालय के अन्तर्गत मौसम केन्द्र, भोपाल में व्यावसायिक सहायक श्री एन० जे० लाखोले को 25 मई 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक भारत मौसम सेवा, ग्रुप-बी (केन्द्रीय सिविल सेवा (प-बी) में सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री लाखोले मौसम केन्द्र, भोपाल में ही तैनात रहेंगे।

दिनांक 8 अगस्त 1977

सं० ई (1) 06736—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नयी दिल्ली में व्यावसायिक सहायक, श्री आर० के० बंसल को 16-7-77 के पूर्वाह्न से 3-9-77 तक पचास दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री बंसल, स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी, वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नयी दिल्ली में ही तैनात रहेंगे।

दिनांक 9 अगस्त 1977

सं० ई (1) 01008—वेधशालाओं के महानिदेशक निम्नलिखित व्यावसायिक सहायकों को स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नीचे दिए गए रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं०	नाम	अवधि	जिस कार्यालय में तैनात किए गए हैं
(1)	(2)	(3)	(4)
	सर्वश्री		
1.	बी० गोपीनाथ राव	6-7-77 से 20-8-77 तक	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक का कार्यालय, (जलवायु विज्ञान) पुणे।
2.	एच० आर० गणेशन	6-7-77 से 20-8-77 तक	—वही—
3.	पी० के० ई० राजा	6-7-77 से 20-8-77 तक	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (पूर्वानुमान), पुणे।
4.	आर० एम० सक्सेना	5-7-77 से 31-8-77 तक	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (उपकरण), नई दिल्ली।
5.	आर० सी० दूबे	6-7-77 से 20-8-77 तक	निदेशक, कृषि मौसम विज्ञान, पुणे।
6.	आर० चौधुरी	6-7-77 से 20-8-77 तक	निदेशक, (उपकरण), पुणे।
7.	टी० एम० सांबामूर्ति	6-7-77 से 20-8-77 तक	प्रादेशिक मौसम केन्द्र, बम्बई।
8.	बी० जी० लेले	9-7-77 से 20-8-77 तक	—वही—
9.	के० के० भौमिक	7-7-77 से 20-8-77 तक	प्रादेशिक मौसम केन्द्र, कलकत्ता।
10.	एस० आर० विश्वास	7-7-77 से 20-8-77 तक	—वही—
11.	एन० बी० घोष	7-7-77 से 20-8-77 तक	—वही—
12.	एस० के० बासु	7-7-77 से 20-8-77 तक	—वही—
13.	ए० के० मुखर्जी	16-7-77 से 19-8-77 तक	—वही—
14.	एन० सी० मुखर्जी	17-6-77 से 19-8-77 तक	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)
	सर्वश्री		
15.	बी० बी० राय	4-6-77 से 31-8-77 तक	मौसम केन्द्र कलकत्ता के अन्तर्गत मौसम केन्द्र गौहाटी।
16.	एस० आर० शेषाद्रि	6-7-77 से 31-8-77 तक	प्रादेशिक मौसम केन्द्र, मद्रास
17.	वी० सुन्दरेशा राव	6-7-77 से 20-8-77 तक	—वही—
18.	वी० एम० वरद-राजन	20-7-77 से 7-8-77 तक	इस कार्यालय की पहली अधिसूचना संख्या ई० (1) 01008 दिनांक 13-6-77 के अनुसार प्रदत्त स्थानापन्न पद के अनक्रम में।
19.	पी० वेंकट रामा राव	17-6-77 से 19-8-77 तक	प्रादेशिक मौसम केन्द्र, मद्रास के अन्तर्गत सी० डब्लू० सी० विशाखा-पतनम
20.	छैल बिहारी	7-7-77 से 31-8-77 तक	प्रादेशिक मौसम केन्द्र, नयी दिल्ली ।
21.	भवानी दत्त	4-7-77 से 20-8-77 तक	प्रादेशिक मौसम केन्द्र, नई दिल्ली के अन्तर्गत मौसम केन्द्र, श्रीनगर

एम० आर० एन० मणियन
मौसम विज्ञानी
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 1977

सं० ए० 32012/3/77-ई० एस०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री बी० एच० मेनन, अधीक्षक को 8 जून, 1977 पूर्वाह्न से क्षेत्रीय निदेशक, मद्रास क्षेत्र, मद्रास एयरपोर्ट, मद्रास के कार्यालय में तदर्थ आधार पर प्रशासन अधिकारी (ग्रुप 'ख' पद) के रूप में नियुक्त किया है।

सं० ए० 32012/3/77-ई० एस०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री के० किशोर, अधीक्षक को 1 जुलाई, 1977 पूर्वाह्न से विमानक्षेत्र अधिकारी, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली के कार्यालय में श्री के० सी० जौहर, प्रशासन अधिकारी की छुट्टी रिक्ति में तदर्थ आधार पर प्रशासन-अधिकारी (ग्रुप 'ख' पद) के रूप में नियुक्त किया है।

वि० वि० जौहरी
सहायक निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई, 1977

सं० ए० 32014/2/77-ई० ए०—निम्नलिखित सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी, जो कि तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे थे, 1 जलाई, 1977 पूर्वाह्न से विमानक्षेत्र सहायक (श्रेणी III-अराजपत्रित) के अपने स्थायी पद पर परावर्तित हो गए हैं।

क्रम सं०	नाम	स्टेशन
1.	श्री एच० एस० संधू	अमृतसर
2.	श्री सी० वी० जोसफ	मद्रास
3.	श्री के० सी० क्षारिया	जुहू (बंबई)

पी० सी० जैन
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 5 अगस्त 1977

सं० 1/433/77-स्था०—श्री के० उन्नीकृष्णन्, तकनीकी सहायक, स्विचिंग समूह, बम्बई, को 2-7-77 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न तौर पर सहायक अभियंता नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/434/77-स्था०—श्री वी० एन० ए० उन्नियन, तकनीकी सहायक, मुख्य कार्यालय, बम्बई, को 2-7-77 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न तौर पर सहायक अभियंता नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/436/77-स्था०—श्री एम० के० दास, तकनीकी, सहायक, कलकत्ता शाखा, को 2-7-77 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न तौर पर सहायक अभियंता नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/437/77-स्था०—श्री एस० पी० सिन्हा, तकनीकी सहायक, आरवी शाखा को 2-7-77 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न तौर पर सहायक अभियंता नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/438/77-स्था०—श्री टी० सी० मेडेस, पर्यवेक्षक, बम्बई, शाखा को 11-7-77 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न तौर पर परियात प्रबंधक नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० 1/227/77-स्था०—मद्रास शाखा के स्थायी उप परियात प्रबंधक श्री एम पी० वासूपिल्ले निवृत होने की आयु के हो जाने पर 30 जून, 1977 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं ।

पु० ग० दामले,
महानिदेशक

बम्बई, दिनांक 2 अगस्त 1977

सं० 1/369/77-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा विदेश संचार सेवा की नई दिल्ली शाखा के पर्यवेक्षक, श्री भगत सिंह को अल्पकालीन रिक्त स्थानों पर :

(1) 12-6-76 से 10-6-76 तक
(2) 23-8-76 से 1-10-76 तक
(3) 1-11-76 से 31-12-76 तक
(4) 17-1-77 से 18-2-77 तक और
(5) 21-2-77 से 18-3-77 (दोनों दिन समेत)

तक की अवधियों के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से उप परियात प्रबंधक नियुक्त करते हैं ।

सं० 1/431/77-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा नई दिल्ली शाखा के तकनीकी सहायक, श्री आर० के० आनंद को एक अल्पकालीन रिक्त स्थान पर 16-5-77 से 30-6-77 (दोनों दिन समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 3 अगस्त 1977

सं० 1/338/77-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा नई दिल्ली शाखा के अधीक्षक, श्री ए० के० बोस को 8-11-76 से लेकर 29-3-77 (दोनों दिन समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक प्रशासन अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

एम० एस० कृष्णस्वामी
प्रशासन अधिकारी,
कृते महानिदेशक

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

बड़ौदा, दिनांक 21 जून 1977

सं० 8/77—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, निरीक्षण ग्रुप, नडीयाद मण्डल के श्री एल० डी० परमार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के स्थायी अधीक्षक, वर्ग-ख, दिनांक 30-6-1977 को अपराह्न में निवर्तन पेंशन पर निवृत्त हो जायेंगे ।

एच० आर० सिंग्म,
समाहर्ता
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बड़ौदा ।

कानपुर, दिनांक 8 जुलाई 1977

सं० 86/77—श्री सी० एम० भटनागर स्थानापन्न/अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख' मेरठ ने अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख' मेरठ के पद का कार्यभार दिनांक 31-5-77 (अपराह्न) को श्री अमरीक सिंह, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मेरठ को सौंप दिया और अर्द्धवार्षिता की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31-5-77 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए ।

दिनांक 27 जुलाई, 1977

सं० 91/77—श्री एच० सी० मोटवानी, कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख', वेतनमान रु० 650—30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200, के पद पर अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप—देखिए इस कार्यालय के पृष्ठांकन प० सं० 11-145-ई० टी०/75/25416 दिनांक 1-6-77 के अन्तर्गत निर्गत कार्यालय स्थापना आदेश सं० 1/ए/175/77 दिनांक 1-6-77 का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आगरा के पद का कार्यभार दिनांक 4-7-77 (पूर्वाह्न) ग्रहण किया ।

कुं० श्री दिलिपसिंह जी
समाहर्ता

शिलांग, दिनांक 3 अगस्त 1977

सं० 7/77—केन्द्रीय आबगारी कलक्टरेट शिलांग के निरीक्षक श्री आमानत आली हाजारिका को अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न रूप में केन्द्रीय आबगारी अधीक्षक (श्रेणी-स) नियुक्त किया गया । श्री हाजारिका ने केन्द्रीय आबगारी के अधीक्षक रूप में दिनांक 27-6-77 (पूर्वाह्न) से तुरा में कार्यभार संभाला ।

सं० 8/77—केन्द्रीय आबगारी कलक्टरेट शिलांग के निरीक्षक श्री अमिय कुमार दास पुरकायस्थ को अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न रूप में केन्द्रीय आबगारी अधीक्षक (श्रेणी-स) नियुक्त किया गया । श्री दास पुरकायस्थ ने केन्द्रीय आबगारी के अधीक्षक के रूप में दिनांक 22-7-77 (पूर्वाह्न) से अगरतला में कार्यभार संभाला ।

के० एम० साहा
कलक्टर

पटना, दिनांक 8 अगस्त 1977

सं० 11(7) 1-स्था०/77/9647—इस कार्यालय के स्थापना आदेश संख्या 271/76 दिनांक 20-10-76 एवं 99/77

दिनांक 20-4-77 के अनुसार 12 केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क निरीक्षकों की पदोन्नति 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/- रु० तथा नियमान्तर्गत देय सामान्य भत्तों सहित वेतनमान में स्थानापन्न अधीक्षक श्रेणी 'ब' के रूप में की गई इस आदेश के अनुसरण में जैसा स्थापना आदेश संख्या 121/77 दिनांक 1-6-77 द्वारा आंशिक संशोधन किया गया, निम्नलिखित अधिकारी अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क ग्रुप 'ब' के रूप में उनके नामों के सामने दिए गए स्थान तिथि और समयानुसार कार्यभार ग्रहण किए।

क्रमांक	नाम	पद स्थापना के स्थान	कार्य ग्रहण करने की तिथि और समय
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	यू० एस० दूबे	मुंगेर रेंज	30-5-77 (पूर्वाह्न)
2.	जी० एन० वर्मा	टिस्को/रेंज	29-6-77 (पूर्वाह्न)
3.	चौधरी मो० सफी उल्लाह	अधीक्षक (नि०) के० उ० जमशेदपुर	15-11-76 (पूर्वाह्न)
4.	जे० पी० सिन्हा	पातेपुर रेंज	5-11-76 (पूर्वाह्न)
5.	सी० एस० प्रसाद	अधीक्षक (नि०) के० उ० मुख्यालय, पटना	23-5-77 (पूर्वाह्न)
6.	अनवार अहमद	वरगनियां सीमा शुल्क, निवारण।	30-6-77 (पूर्वाह्न)।
7.	राम पूजन तिवारी	अधीक्षक (लेखा परीक्षा) के० उ० मुख्यालय, पटना	10-5-77 (पूर्वाह्न)
8.	बुगेश्वर प्रसाद वर्मा	सीमा शुल्क (नि०), निर्मली	16-5-77 (पूर्वाह्न)
9.	जगदीश प्रसाद	टिस्को/रेंज	30-4-77 (पूर्वाह्न)
10.	जगनारायण प्रसाद	सीमा शुल्क (नि०) मोती हारी	25-4-77 (पूर्वाह्न)
11.	राजेंद्र प्रसाद चौबे	जन्दाहा रेंज	7-6-77 (पूर्वाह्न)

हरि नारायण साहु
समाहर्ता

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-22, दिनांक 4 अगस्त 1977

सं० क-19012/614/76-प्रशासन-पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग श्री रतन सिंह, पर्यवेक्षक, केन्द्रीय जल आयोग को रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पूर्णतया अस्थायी और तदर्थ रूप में 12 अगस्त, 1976 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश आने तक केन्द्रीय जल आयोग में सहायक अभियंता की श्रेणी में नियुक्त करते हैं।

श्री रतन सिंह ने अधीक्षक अभियंता, लोवर लग्यप हाईडल परियोजना वृत गंगटोक (सिक्किम) के अन्तर्गत लोवर लग्यप निर्माण उप-प्रभाग सं० तीन केंद्रीय जल आयोग, रानी पुल (सिक्किम) में उपरोक्त दिनांक तथा समय से सहायक अभियन्ता के पद का भार ग्रहण कर लिया।

जे० के० साहा
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

उत्तर रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 1977

सं० 11—भारतीय रेल अभियांतिकी विभाग के श्री बी० एल० त्रिखा, स्थानापन्न उप मुख्य अभियन्ता 30-6-1977 अपराह्न से आयु अधीन सेवा निवृत हो गये है।

जे० एन० कोहली
महाप्रबंधक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

मैसर्स ओवर सीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445(2) के अन्तर्गत नोटिस।

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1977

सं० को०लिक्वि०3143/13801—माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के दिनांक 12-5-1977 के आदेश से मैसर्स ओवरसीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापित होना, आदेशित हुआ है।

मैसर्स जाकोम इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445(2) के अन्तर्गत नोटिस।

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1977

सं० को०लिक्वि० 3331/13802—माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के दिनांक 26-8-1976 के आदेश से मैसर्स जाकोम इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन प्राइवेट लि० का परिसमापित होना, आदेशित हुआ है।

आर० के० अरोड़ा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और शान्ति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 3 अगस्त 1977

सं० 5740/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि शान्ति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और जेयमनी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० 5606/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि जेयमनी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और रबिया चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में,

मद्रास, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० डी० एन० 5669/560 (5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1957 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि रबिया चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और एफिशियेंट प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० 6016/560 (5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एफिशियेंट प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनिमय, 1956 और मद्रास मरचन्ड़ैस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 8 अगस्त 1977

सं० डी० एन०/1517/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम. 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मद्रास मरचन्ड़ैस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पोलिस्टर फैबरस लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 8 अगस्त 1977

सं० डी० एन० /5599/560 (5)/77—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पोलिस्टर फैबरस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और प्रोजक्टस एन्ट अडवैसरी सरवीसस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 8 अगस्त 1977

सं० डी० एन०/5853/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रोजक्टस एंड अडवैसरी सरवीसस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

के० पद्मनापकेशन
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मसर्स शाह फाउन्ड्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 4 अगस्त 1977

सं० 560/1884—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शाह फाउंन्ड्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जे० गो० गाथा
प्रमंडल पंजीयक, गुजरात राज्य,
अहमदाबाद

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मसर्स परसुरामपुरिया लाईम इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 2 अगस्त 1977

सं० सांख्यिकी/1069—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मसर्स परसुरामपुरिया लाइम इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किये गये तो रजिस्टर से काट दिया जावेगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियमय, 1956 और मैसर्स विध्याचित फंड प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के संम्बन्ध में ।

जयपुर, दिनांक 2 अगस्त 1977

सं० सांख्यिकी/1228—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विध्याचित फंड प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किये गये तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जावेगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मसर्स एम० के० फाईनेन्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के सम्बन्ध में ।

जयपुर, दिनांक 2 अगस्त 1977

सं० सांख्यिकी/1211—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मसर्स एम० के० फाईनेन्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किये गये तो रजिस्टर से काट दिया जावेगा और कम्पनी विघटित कर दी जावेगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मेसर्स श्रीबन कैमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के सम्बन्ध में ।

जयपुर, दिनांक 2 अगस्त 1977

सं० सांख्यिकी/1602—कम्पनी अधियिम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स श्रीबन कैमीकलस एण्ड फर्टीलाईजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किये गये तो रजिस्टर से काट दिया जावेगा और कम्पनी विघटित कर दी जावेगी ।

राम दयाल कुरील
कम्पनियों का रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और भिकटरी फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० 21275/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर पर भिकटरी फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और नेपचून इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० 28261/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर पर नेपचुन इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और वोगरा कोल कं० प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० 28637/560 (3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर पर वोगरा कोल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और टागा कोल ट्रेडस् प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० 28639/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर पर टागा कोल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और प्रिमिअर पलिक्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० 29231/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर पर प्रिमिअर पलिक्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और नेगा जेमिदारी कोल कं० प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० 28638/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधार (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर पर नेगा जेमिदारी कोल कं० प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी ।

एस० सि० नाथ
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कार्यालय आयकर आयुक्त

इलाहबाद, दिनांक 18 जुलाई 1977

आयकर अधिनियम, 1961—धारा 123(1) एवं (2) आयकर आयुक्त, इलाहाबाद के प्रभार में निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्तों के क्षेत्राधिकार ।

सी० सं० 81 (ग) नि० स० आ०/तक०/77-78—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 123 की उप-धाराएं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के सम्पादन में, मैं, आयकर आयुक्त, इलाहाबाद एतद्द्वारा दिनांक 4-5-1977 की अधिसूचना सी० सं० 284/तकनीकी आयकर आयुक्त क्षेत्रा०/77-78 में निम्नलिखित संशोधन करता हूं ।

कालम 3 के तीसरे मद के सामने क्रम संख्या 4 पर गाजीपुर जोड़ा जायं ।

क्र० सं०	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त रेन्ज	रेंज में शामिल किये गये सर्किल अथवा उप-प्रभार की संख्या
1	2	3
3	वाराणसी	4 गाजीपुर

यह अधिसूचना 1-6-1977 से लागू मानी जाएगी ।

शेख अब्दुल्ला
आयकर आयुक्त
इलाहाबाद

प्ररूप आई० टी० एन० एम०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अगस्त, 1977

सं० आर० ए० सी० 62/77-78—यतः मुझे, के० एस० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 10-3-281/2 है, जो मासाबटेनक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद, कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-12-1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है, कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) नवाब कुतुबयारजंनग
   (2) श्रीमती रणीदुनीसा बेगम
   (3) श्रीमती नजीरनिसा बेगम 10-3-304 मासाबटेनक, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

2. सुसीला देवी मारडा पत्नी श्रीज मोहन मारडा घर नं० 10-3-281/2 मासाबटेनक, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 10-3-281/2 मासाबटेनक, हैदराबाद,
उसके बजूमे :
पूर्व : बिपिन धेन्द्रा का घर
पश्चिम : मोरना अब्दुल्ला का घर
उत्तर : आम रास्ता
दक्षिण : सम्पत्ति, अन्तरिक का है ।

इस सम्पत्ति रजिस्ट्री की गई है । दस्तावेज नं० 2127/76 उप रजिस्ट्री कार्यालय, कैरताबाद, हैदराबाद में।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, निजामाबाद

निजामाबाद, दिनांक 9 अगस्त 1977

सं० आर० ए० सी० 63/77-78—यतः, मुझे, के० एस० वेंकटरामन,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मिलक बाग नं० 6-15-1479, 1480, 1496, गुरबा आबादी रास्ता, निजामाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय निजामाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 24-3-1977 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती तोड पुनुर अनजम्मा पत्नी, टी० आर० पनडरी देवी रोड, निजामाबाद में ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती पदमालिनगम्मा पती पदमा धिन्या
घर नं० 7-3-6 मिरधी कमपोन्ड, निजामाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मिल (यन्त्र के अलावा) सम्पत्ति का भाग म्यूनिसिपल नं० 6-15-1479, 1480, और 6-15-1496 गुरबा आबादी के पास, निजामाबाद में है जिसका विस्तीन 1811-11 वर्ग यार्ड है मीडोन हाल कुली प्लेट फार्म वगैरा रजिस्ट्री की गई है दस्तावेज नं० 1315/77 उप रजिस्ट्री कार्यालय-निजामाबाद में ।

उसके अनाप में :
पूर्व : कुली जमीन
पश्चिम : गुरब्बा आबादी रास्ता
उत्तर : वेनकटेश मिल
दक्षिण : एम० बन्सीलाल का मिल ।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, निजामाबाद

दिनांक : 9-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 1977

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/77-78/878—अतः मुझे, रा० कृ० बाली, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) इसमें जिसे इसके पश्चात् (उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारियों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कच्चा मकान है, जो रायपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-1-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सुधीरकुमार बोस पुत्र श्री शरदचन्द्र बोस निवासी बुढ़ापारा, रायपुर

(अन्तरक)

2. श्री दीनमणि शंकर, पुरोहित पुत्र श्री शिवलाल पुरोहित निवासी महात्मा गांधी रोड, रायपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कच्चा मकान साथ में खुला भूमि मकान नं० 15/613 (भाग) स्थित रफिया पारा वार्ड, जवाहर नगर, रायपुर।

रा० कृ० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 8-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 1977

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी० /भोपाल/77-78/879— अतः, मुझे, रा० कु० बाली
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० प्लाट है, जो ग्राम टोंडी, मन्दसौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मन्दसौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-1-1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्रीमती आभा पत्नि श्री अनिल कुमार गुप्ता
(2) श्री सुशील कुमार पुत्र श्री लाला दलाल सिंह गुप्ता
(3) श्री नानालाल पुत्र श्री एकालिगन जी सोनी सभी निवासी मन्दसौर।
(4) श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री गोपी किशन गोयल निवासी नीमच (म० प्र०)

(अन्तरक)

2. मैसर्स राजाराम एण्ड ब्रादर्स, मन्दसौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि का एक अविकसित प्लाट, खसरा नं० 181व 182 स्थित ग्राम टोंडी, मन्दसौर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 8-8-77
मोहर:

प्रारूप आई० टी० एन एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 जुलाई 1977

निदेश सं० 2/डीईसी/76-77—यतः, मुझे, एस० राजरत्नम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 62 है, जो वरदा मुलीयप्पन स्ट्रीट, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मद्रास (पत्र सं० 327/76) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 1-12-1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती एम० कुमुदवल्ली तायार
(अन्तरक)

2. श्री एन० सुम्मन्ना
(अन्तरिती)

3. (1) श्री एस० सेशगिरि राव
(2) श्री एस० लक्ष्मया चेट्टी
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, वरदा मुन्नीयप्पन स्ट्रीट, डोर सं० 62 में 1624 स्क्वायर फीट की भूमि (मकान के साथ)।

एस० राजरत्नम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 30-7-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 जुलाई, 1977

निदेश सं० 6/डी०ई० सी०/76-77—अतः, मुझे, एस० राजरत्नम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस० सं० 15/2 है, जो पुन्जै, ईडैयार मेलमुगम गांव, नामक्कल तालुक, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेलूर (पत्र सं० 1666/76) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-12-76 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :——

1. श्री वी० ई० चन्द्रसेकरन

(अन्तरक)

2. श्रीमती एम० सरस्वती

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सेलम जिला नामक्कल तालुक, पुन्जै ईडैयार मेलमुगम गांव एस० सं० 15/2 में 20½ सेंट की भूमि।

एस० राजरत्नम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक 30-7-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 जुलाई 1977

निदेश सं० 9/डीईसी/76-77—यत: मुझे एस० राजरत्नम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 70 है, जो मन्नारसामि कोईल स्ट्रीट, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुरम (पत्र सं० 876/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 3-12-1976 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती पट्टम्माल और आदि।

(अन्तरक)

2. श्रीमती एस० सक्करसेवरी

(अन्तरिती)

3. (1) श्री दर्मराजन,
   (2) श्री बाल कृष्णन
   (3) श्री सुब्रह्मनियम
   (4) तंगमणि ।
   (5) मुरूगसामि ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास 13, रायपुरम, मन्नारसामि कोईल स्ट्रीट, डोर सं० 70 (आर० एम० 976) में एक ग्राउन्ड और 69 स्कुयर फीट की भूमि (मकान के साथ)।

एस० राजरत्नम
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक 30-7-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 जुलाई 1977

निदेश सं० डीईएो/76-77—यतः मुझे एस० राजरत्नम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० पैमाईश सं० 44/5 है, जो नयी पल्लीपालयम रोड, ईस्ट कालनी, कोमारपालयम, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोमारपालयम (पत्र सं० 1623/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 18-12-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री एन० गुरुसामि नायुडु

(अन्तरक)

2. श्रीमती सुशीला अम्माल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोमारपालयम, ईस्ट कालनी, नयी पल्लीपालयम रोड, पैमाईश सं० 44/5 में 3101 3/4 स्क्वायर फीट की भूमि (मकान के साथ) ।

एस० राजरत्नम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक 30-7-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 जुलाई 1977

निदेश सं० 44/डीईसी/76-77—यतः मुझे एम० राजरत्नम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 25, काक्का तोप्पु स्ट्रीट है, जो मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पन्डमन्डपम (पत्र सं० 1463/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिसम्बर, 1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती के० वी० सीतालक्ष्मी वरामीयर

(अन्तरक)

2. श्रीमती एम० सारदा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, काक्का तोप्पु स्ट्रीट, डोर सं० 25 में 2530 स्क्वायर फीट की भूमि (मकान के साथ)।

एम० राजरत्नम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 30-7-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भुवनेश्वर

भुवनेश्वर, दिनांक 17 अगस्त 77

निर्देश सं० 49/77-78/ आई० ए० सी० (ए०/आर०)/ भुवनेश्वर :—यतः, मुझे, अमरेन्द्र नाथ मिश्र आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० खाता नं० 756 है, जो मौजा विद्याधरपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर (कोरापुट) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-11-76 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. के० एम० हुसेन
2. के० एम० नुर
3. के० एम० सुलतान
4. के० एम० अबदुला
5. के० एम० माधार
6. के० एम० कुतबुदिन
7. के० एम० अनिर
8. के० एम० साबिरहुसेन
9. के० एम० समसुररहिमन
10. के० एम० गाअुम
11. के० एम० तागुदिन
12. के० एम० सागानिबेगम् (अन्तरक)

(2) कैलाश चान्द अग्रवाला (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अपर महला मकान जयपुर टाउन का मुख्य रास्ता के पश्चिम भाग में स्थित हैं। ए० सी० ओ० 0.080 डेसिमाल एण्ड ए० सी० ओ० .009 डेसिमल जमीन जयपुर टाउन का विद्याधरपुर मौजा में नं०-69 प्लाट और 70/1106 प्लाट पर स्थित है; जिसके खाता नं० 756 है।

अमरेन्द्र नाथ मिश्र
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भुवनेश्वर

तारीख : 17-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 11 अगस्त 77

निर्देश सं० सी० आर० नं० 62/7320/ 76-77/एसीक्यू० 10)

:—यतः, मुझे, जे० एस० राव

आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 19 है, तथा जो लूयीस रोड, कुकटौन सिविल स्टेशन बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजीनगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनिय, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 16/12/1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; *और/या*

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. मैसर्स मैनी बाय्यन स्नेहलता चल्लप्पा पत्नी टी० चल्लप्पा और दो बेटी

2. मैसर्स प्रियलता, शकीला, टेलफर,

3. कुमारी मल्लिक्का सुहासिनी चल्लप्पा 8, कादर नवाब खान रोड बुगमबाकम, मद्रास-34

(अन्तरक)

(2) कुमारी मोहिनी तोलाराम, सुपुत्री श्री तोलाराम, नं० 16, डिकास्टा ले और, बेंगलूर-5

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित, हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० / 733/76-77 ता० 16/12/76) ।

सारा संपत्ति का जो० सं० 14, लूईस रोड, कुक टौन, सिविल स्टेशन, बेंगलूर ।

बांध :

उ०—सं० 6, है स्ट्रीट

द०—लूईस रोड

प०—7, लूईस रोड,

प०—खाली जगह

जे० एस० राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 11/8/77

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 29 जुलाई, 77

निर्देश सं० सी० आर० नं० 62/ 7846/76-77/ एसी० क्यू०-बी० :—यतः, मुझे, जे०एस० राव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 36-6-7 (नवा) है, तथा जो डिकनसन रोड, सिविल स्टेशन, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनिय, 1908 (1908 का 16) के अधीन, ता० 13/12/76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) श्रीमती लक्ष्मी दास सि० सुपुत्र श्री बि० चबिलदास 14-ए० इनफेन्ट्री रोड, सिविल स्टेशन, बेंगलूर। (अन्तरक)

(2) मैसर्स "सी० आर० एन्ड सन्स" 36-सी०, डिकनसन रोड, बेंगलूर-92। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० / 703/76-77 ता० 13/12/76)।

सारा संपत्ति का जे० सं० 36-सी०, 7 (नवा) डिकनसन रोड, , सिविल स्टेशन , बेंगलूर

बांध :

पूर्व : सं० 36-बी० , 8 (नवा) डिकनसन रोड

पश्चिम : पैवेट शपरटी

उत्तर : सं० 1,

दक्षिण : डिकनसन रोड

जे० एस० राव
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 29/7/77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 9 अगस्त 77

निर्देश सं० सी० आर० नं० 62/76-58/76-77/ए० सी० क्यू० / बी० :—यतः, मुझे, जे० एस० राव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 28, 29 (नवा) है, तथा जो शेषाद्री रोड, आनन्दराव सर्कल बंगलूर-9 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15/12/77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एस० एन० श्रीनाथा सुपुत्र स्व० डा० एस० एन० प्रसाद सं० 30, शेषाद्री रोड, आनंदराव सरकल, बंगलूर-9

(अन्तरक)

(2) मैसर्स होटल द्वारका सं० 721, 1 क्रास, 5 ब्लाक राजाजी नगर बंगलूर -10

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1723/76-77 ता० 15/12/76)।

पुराना 28, नवा 29, शेषाद्री रोड, आनंदराव सरकल बंगलूर-9, (डिविजन 14)।

बांध :

पू० : देवेंद्रप्पा का

प० : सं० 2/7/, 220 और सुबेदार चमन रोड,

उ० : सं० 30 और 30/1 एस० एन० श्रीनाथ का और शेषाद्री रोड,

द० : श्रीमती चोक्कम्मा का और शेशम्मा का और प्यास-सेज $3\frac{1}{2}' \times 25'$

जे० एस० राव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 9-8-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 8 अगस्त 77

निर्देश सं० सी० आर० नं० 62/ 7664/ 76-77/ ए०सी०-क्यू० / बी० :—यतः, मुझे, जे० एस० राव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 15, पुराना 50/56 है, तथा जो तोटद देवर गली, 19 डिविशन बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 का 16) के अधीन, ता० 15/12/76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती पदमाव तम्मा पत्नी स्व० रा० अप्पय्या नं० 453, राजामहल विलास एक्सटनशन, बेंगलूर-6।

(अन्तरक)

(2) श्री जतीन्द्र कुमार आर० शा० सुपुत्र श्री रमणिक लाल, प्रकाश सैकल स्टोरस, आरकाट श्रीनिवासा स्ट्रीट, बेंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1693 /76-77 ता० 15/12/76) ।

सं० 15, पुराना 50/56, तोटद देवर गल्ली 19 डिविशन, बेंगलूर ।

बांध :

पू० : रा० रामचन्द्र का

प० : तोटद देवर गल्ली

उ० : नश्यद पिल्लम्मा गल्ली

द० : मरी स्वामी मटद गल्ली

जे० एस० राव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 8-8-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 8 अगस्त 77

निर्देश सं० सी० आर० नं० 62/7669/76-77/ए० सी० क्यू०-बी० :—यतः, मुझे, जे० एस० राव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 34, 3 (नवा) है, तथा जो पहला मैन, 5 ब्लाक, कु० पा० वे बंगलूर-20 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-12-1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती टी० आर० जयम्मा गोविंदा, पत्नी आर० गोविंदा, नं० 16, 4 क्रास, 9 ब्लाक, कुमारा पार्क वेस्ट, बेंगलूर-20

(अन्तरक)

(2) श्री एम० एन० नागराज, सुपुत्र श्री नंजय्य, नं० 2, एलप्पा मकान 111 मैन, नवा गड्डदहली, मैजान रोड, बेंगलूर-26

(अन्तरिती)

(3) मैसर्स शिव शंकर राजनसी नं० 3, 1 मैन 5 ब्लाक कु० पा० वे० बेंगलूर-20।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

[दस्तावेज सं० 1653/76-77 ता० 13-12-76।]

सारा संपत्ति का जो सं० 3 (नवा) 34 (पुराना) 1 मैन, 5 ब्लाक, कु० पा० वे० बेंगलूर-20

बांध :

पूर्व : 1 मैन रोड
पश्चिम : दूसरा संपत्ति (आर० कृष्णप्पा)
उत्तर : रंगुनाथराव का
दक्षिण : बी० बसवलिंगप्पा का

जे० एस० राव,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 8-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 8 अगस्त 77

निर्देश सं० सी० आर० नं० 62/7676/76-77/ए० सी० क्यू०/आई :—यतः, मुझे, जे० एस० राव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 1 (नया) निवेशन 85 है, तथा जो II रोड, नंदीदुर्ग एक्सटेंशन, बेंगलूर डि० सं० 46 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 3-12-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) 1. श्रीमती 1. कमलाम्मा जे० के० गौड पत्नी स्व० जे० के० गौड
2. श्री बी० एम० दिवाकर सुपुत्र स्व० जे० के० गौड रोराब, शिवभोग डिसट्रिक्ट
(अन्तरक)

(2) श्री एम० जी० कदाली सं० 80, रानोजी राव रोड बसवनगुडी, बेंगलूर-4
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1574/76-77 ता० 3-12-76)

नया सं० 1 निवेशन 85, II रोड, नंदीदुर्ग एक्सटेन्शन, डिविशन 46, बंगलूर,

बांध :

पू० : निवेशन सं० 89
प० : रोड
उ० : रोड
द० : निवेशन सं० 86

जे० एस० राव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 8-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 8 अगस्त 1977

निर्देश सं० सी० आर० नं० 62/7679/76-77/ए० सी० क्यू० (बी०)—यतः, मुझे, जे० एस० राव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 20, 22 (नवा) है तथा जो 10 क्रास कब्बन पेट, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, ता० 1-12-76 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री एस० आनंद सुपुत्र राम सदाशिवप्पा
2. श्री एम० अशोक सुपुत्र एम० सदाशिवप्पा
3. श्री एम० सदाशिवप्पा सं० 178, 5 मन रोड IV ब्लाक जयनगर, बंगलूर। (अन्तरक)

(2) श्रीमती के०वी० राजेश्वरी पत्नी बी० तिम्माप्पा 5, 10 क्रास, कब्बन पेट, बेंगलूर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

[दस्तावेज सं० 1567/76-77 ता० 1/12/76]

सं० 20, 22 (नवा), 10 क्रास, कब्बन पेट, बंगलूर

बांध :

पू० : 10 क्रास रोड
प० : काटेय्या का
उ० : देवनहली पुट्टम्मा का
द० : रंगप्पा का

जे० एस० राव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 8-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलौर

बंगलौर, दिनांक 29 जुलाई, 1977

निर्देश सं० सी०आर० नं० 62/9282/77-78/एसी०क्यू/बी०—यतः, मुझे जे० एस० राव
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० नवा 7 है, तथा जो 6 क्रास रोड, हचिनम् रोड, बंगलौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20/4/1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती पिल्लम्मा पत्नी टी० नागप्पा नं० 14' जयमहल एक्सटेंशन, बंगलौर
(अन्तरक)

(2) श्री वी० रामनुजुलु नायडू सुपुत्र स्व० वेंकटस्वामी नायडू नं० 6 अशोका रोड, बंगलौर
(अन्तरिती)

को वह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

[दस्तावेज सं० 1/7/73-78 ता० 20/4/77]।
नवा सं० 7, 6 क्रास रोड, हचिनस रोड, बंगलौर
बांध :
पूर्व : सं० 63
पश्चिम : 25' रोड क्रास
उत्तर : सं० 57
दक्षिण : 25' रोडक्रास

जे० एस० राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलौर

तारीख : 29/7/77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त 77

निदेश नं० 1684 :—यतः, मुझे बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकत अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, ता० दिसम्बर, 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित, व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्री नरीन्द्र कुमार पुत्र श्री बद्री दास, मन्दिर वाली गली, बाजार नौरीयां जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री धर्म चन्द पुत्र श्री गूरदित्ता मल, सुभाष चन्द तथा अशोक कुमार पुत्र श्री धर्मचन्द, डब्ल्यू० ई० -70, अल्ली महल्ला, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मुकान जैसा कि विलेख नं० 4991 दिसम्बर, 76 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 11-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त 1977

निदेश नं० 1685—यतः, मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनूसूची में है है तथा जो गरीन पार्क, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुरपरीत सिंह, 2 जयवरीत सिंह पुत्र श्री राजिन्द्र सिंह, 3 राजवन्त कौर पुत्री श्री राजिन्द्र सिंह 4. राजिन्द्र कौर विधवा श्री राजिन्द्र सिंह, 491, माडल टाउन, जालन्धर ।

(अन्तरक)

(2) श्री साधु सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह पुत्र श्री वरयाम सिंह, 455, एल०, माडल टाउन, जालन्धर

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख नं० 4403 दिसम्बर, 76 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एम० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन, रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त 1977

निदेश सं० 1686 — यतः, मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो मोता सिंह नगर जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री लाल सिंह पुत्र चौधरी शेर सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह निवासी शहबाजपुर, तहसील दसूहा
(अन्तरक)

(2) श्री हरबंस सिंह अतवाल पुत्र श्री गुरबचन सिंह पुत्र श्री ठाकल सिंह, निवासी चिट्टी, तहसील जालन्धर।
(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर सं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख नं० 4464 दिसम्बर, 76 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है।

बी० एस० दहिया,
अर्जन रेंज, जालन्धर
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

तारीख : 11-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त 1977

निदेश सं० 1687—यतः, मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो परीत नगर, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कुमारी सरला कौशल पुत्री श्री राम सरन दास 2. श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री राम सरूप जी० ए० आफ श्रीमति शीला गुप्ता पुत्री श्री राम सरन दास 816 कालका जी एक्सटेंशन, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री जय किशन 2. रमेश कुमार 3. श्री जय प्रकाश पुत्र श्री पतराम दास मार्फत मै० बंसल सरील सपलाई कम्पनी, टाटा रोड, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इस में प्रयुक्त शब्दों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया है।

अनुसूची

प्लाट जैसा कि विलेख नं० 5686 जनवरी, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त 77

निदेश नं० 1688:—यतः, मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो लाडोवाली रोड, जालन्धर में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री गुरबीत्त सिंह पुत्र श्री नत्था सिंह, गांव गिल, तहसील नकोदर

(अन्तरक)

(2) श्री प्यारा सिंह पुत्र श्री जीवन सिंह, इ० जी० 46 ए०, लाडोवाली रोड, जालन्धर ।

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट जैसा कि विलेख नं० 5671 जनवरी, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के जालन्धर में लिखा गया है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त 1977

निदेश नं० 1689—यतः, मुझे बी० एस० वहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनूसूची में है तथा जो बस्ती , दानीश मन्दा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अमर सिंह पुत्र श्री जैमल सिंह मार्फत सतनाम जनरल स्टोर, नजदीक पुरन चन्द चक्की, बस्ती दानीश मंदा, घर नं० डब्ल्यू० ओ० 129, जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री जगदीश लाल, मनीश कुमार पुत्र श्री हरी चन्द, मकान नं० 114, बस्ती दानीशमंदा, जालन्धर। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 4530 दिसम्बर, 76 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है।

बी० एस० वहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त, 1977

निदेश नं० 1690 :—यतः मुझे, बी० एस० दहिया। आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो लीवरां (जालन्धर) में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जनवरी, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप मे कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह, अमृत बाजार कपूरथला।

(अन्तरक)

(2) श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री वीर सिंह 31-माडर्न कालोनी, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है, कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख नं० 5548 जनवरी, 1977 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त, 1977

निदेश नं० 1691 :—यतः मुझे, बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है जो लीदरां (जालन्धर) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जनवरी, 1977।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दर्शन सिंह, महीन्द्र सिंह पुत्र श्री किरपा सिंह, नकोदर रोड, जालन्धर ।

(अन्तरक)

(2) श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री वीर सिंह 31- माडर्न कलोनी जालन्धर ।

(अन्तरिती)

(3) श्री सरदूल सिंह तथा दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख नं० 5667 जनवरी, 1977 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर,

तारीख : 11-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त, 1977

निदेश नं० 1692 :— यतः मुझे, बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो लीदरां (जालन्धर) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जनवरी, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री अमरीक सिंह, सुरजीत सिंह पुत्र श्री किरपा सिंह, नकोदर रोड, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री वीर सिंह, 31 मार्डन कालोनी, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) श्री सरदूल सिंह तथा दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख नं० 5625 जनवरी, 1977 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, तारीख 11 अगस्त 1977

निर्देश नं० 1693—यतः मुझे, बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसका सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो लीदरां जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का) के अधीन, जनवरी 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1 श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री किरपा सिंह नकोदर रोड, जालन्धर (अन्तरक)

2. श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री वीर सिंह 31-माडर्न कलोनी, जालन्धर

(अन्तरिती)

3. श्री सरदूल सिंह तथा दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

4. जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख नं० 5584 जनवरी-1977 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख :— 11-8-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर तारीख 11अगस्त 1977

निर्देश नं०—अत: मुझे, बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो लीदरा जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का)16) के अधीन, तारीख जनवरी 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री महीन्द्र सिंह पुत्र श्री किरपा सिंह नकोदर रोड, जालन्धर ।

(अन्तरक)

2. श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री वीर सिंह 31-मार्डन कलौनी, जालन्धर ।

(अन्तरिती)

3. श्री सरदूल सिंह तथा दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

4. श्री/ जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्त, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख नं० 5553 जनवरी-77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालंधर, दिनांक 11 अगस्त 1977

निदेश नं० 1695—अतः मुझे बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनूसूची में है तथा जो लीदरो जालंधर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कारतार कौर पुत्री श्री नगीना सिंह नकोदर रोड, जालन्धर
(अन्तरक)
2. श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री वीर सिंह 31-मार्डन कलौनी, जालन्धर
(अन्तरिती)
3. श्री सरदूल सिंह तथा दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)
4. जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख नं० 5552 जनवरी, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर कार्यालय

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त, 1977

निदेश सं० 1696 :—यतः मुझे, बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो लीदरां (जालन्धर) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जनवरी, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री किरपा सिंह नकोदर रोड, जालन्धर ।

(अन्तरक)

(2) श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री वीर सिंह 31 माडर्न कालोनी, जालन्धर ।

(अन्तरिती)

(3) श्री सरदूल सिंह तथा दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख सं० 5551 जनवरी, 1977 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है ।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त, 1977

निदेश नं० 1697 :—यतः मुझे, बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो लीदरां (जालन्धर) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जनवरी, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री किरपा सिंह नकोदर रोड, जालन्धर ।

(अन्तरक)

(2) श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री वीर सिंह 31-मार्डन कलोनी, जालन्धर ।

(अन्तरिती)

(3) श्री सरदूल सिंह तथा दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि विलेख नं० 5550 जनवरी, 1977 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर कार्यालय

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त, 77

निदेश नं० 1698 :—यतः, मुझे बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो लीदरां (जालन्धर) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, , 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1977।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री किरपा सिंह, नकोदर रोड, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री वीर सिंह 31 माडर्न कालौनी, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) श्री सरदूल सिंह तथा दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि विलेख नं० 5549 जनवरी, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है।

बी० एस० दहिया।
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त, 77

निदेश नं० 1699 :--यतः, मुझे बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची मे है तथा जो बस्ती गुंजा (जालन्धर) में स्थित है(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: --

(1) श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री गुरदित्त सिंह, मकान नं० 400, बस्ती गुंजा, जालन्धर

(अन्तरक)

(2) श्री जगदीश राज पुत्र श्री मुन्शी राम मकान नं० 12, बस्ती गुंजा, जालन्धर ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 5492 जनवरी, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त, 77

निदेश नं० 1700:—यतः मुझे, बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो रामा मण्डी, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिसम्बर, 1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमाभ प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् —

(1) श्री दुनी चन्द पुत्र श्री बरीजु नजदीक हरी सिंह सरपंच गांव धीना, डाकखाना सन्सार पुर तहसील जालन्धर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नि श्री चन्द्र प्रकाश मकान नं० 61/1, मुहल्ला 9, जालन्धर छावनी, तथा मार्फत चन्द्रप्रकाश बुक बाईन्डर, हर दयाल रोड, जालन्धर छावनी ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दुकान जैसा कि बिलेख नं० 4916 दिसम्बर, 1976 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त 1977

निदेश नं० 1701 :—यतः, मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो मोडल रोड, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में वर्णित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी श्री हरबक्श सिंह नैशनल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, मोडल रोड, जालन्धर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती स्वर्ण कोर पत्नी श्री भावीखान सिंह, भावीखान सिंह पुत्र श्री रत्न सिंह, गांव पलाही तहसील फगवाड़ा ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 4574 दिसम्बर, 76 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-1977
मोहर ;

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज , जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त 1977

निदेश नं० 1702 :—यतः, मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो पुराना जवाहर नगर जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1977।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती सवीत्री देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश 13 बी०, पुराना जवाहर नगर, जालन्धर ।
(अन्तरक)

(2) श्री रमेश सिंह, दर्शन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, एन० ए०, 252, किशन पुरा, जालन्धर ।
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 6334 फरवरी, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अगस्त 1977

निदेश नं० 1703 :— यतः, मुझे, बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो पुराना जवाहर नगर जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, 13-बी० पुराना जवाहर नगर, जालन्धर ।

(अन्तरक)

(2) श्री मनोहर सिंह, अवतार सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, एन० ए० 252, किशन पुरा, जालन्धर

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 51 अप्रैल—77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है ।

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 11-8-77
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 18th July 1977

No. A.32013/3/76-Admn.I.—In continuation of this office notification of even number dated 31-5-77 the President is pleased to appoint Shri M. S. Thanvi, an officer of the Indian Revenue Service (Income Tax) as Deputy Secretary in the office of the Union Public Service Commission with effect from 1-7-1977 or until further orders.

P. N. MUKHERJEE, Under Secy.
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 27th July 1977

No. A.32014/1/77-Admn.III(1).—In continuation of this office notification of even number dated 24-6-77, the President is pleased to appoint Shri R. K. Mago, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Gde. of the service for a further period from 17-7-77 to 31-7-77 or until further orders, whichever is earlier.

No. A.32014/1/77-Admn.III(2).—In continuation of this office notification of even number dated 23-5-77, the President is pleased to appoint Shri G. K. Samanta, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 17-7-77 to 31-7-77 or until further orders, whichever is earlier.

No. A.32014/1/77-Admn.III(3).—In continuation of this office notification of even number dated 23-5-77, the President is pleased to appoint Shri B. B. Das Sarma, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 13-7-77 to 27-8-77 or until further orders, whichever is earlier.

The 5th August 1977

No. A.32014/1/77-Admn.III(2).—In continuation of this office notification of even number dated 20-7-77, the President is pleased to appoint Shri H. S. Bhatia, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 14-8-77 to 31-8-77 or until further orders, whichever is earlier.

No. A.32014/1/77-Admn.III(3).—In continuation of this office notification of even number dated 27-7-77, the President is pleased to appoint Shri R. K. Mago, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 13-8-77 to 31-8-77 or until further orders, whichever is earlier.

No. A.32014/1/77-Admn.III(4).—In continuation of this office notification of even number dated 20-7-77, the President is pleased to appoint Shri I. J. Sharma, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period from 12-8-77 to 30-8-77 or until furthers orders, whichever is earlier.

P. N. MUKHERJEE, Under Secy.
(Incharge of Administration),
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R.

CENTRAL BUREAUE OF INVESTIGATION

New Delhi, the 19th July 1977

F. No. K-11/71-Ad.V.—Consequent on their appointment in the Shah Commission of Inquiry the service of S/ Shri K. G. Vidyasagar, A. Chakravarty and A. K. Majumdar, Deputy Supdts. of Police, Central Bureau of Investigation, New Delhi have been placed at the disposal of the Shah Commission of Inquiry wef the forenoon of 25th June, 1977.

The 22nd July 1977

No. A-19020/3/75-Ad.V.—Consequent on his appointment as Dy. Inspector General of Police (Range) Delhi, the services of Shri Y. Rajpal, DIG, C.B.I., New Delhi (IPS-Madhya Pradsh—1957) have been placed at the disposal of the Delhi Administration with effect from forenoon of 20th June, 1977.

He relinquished charge of his office in C.B.I. on theforenoon of 20th June, 1977.

P. S. NIGAM,
Administrative Officer (E) C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 5th August 1977

No. O.II-1068/77-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. K. Jagannath Rao, as G.D.O., Gd. II (Dy. S.P./Coy. Comdr.) in the CRPF in a temporary capacity with effect from the forenoon of 12th July, 1977 until further orders.

A. K. BANDHOPADHYAY, Asstt. Dir. (Adm)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-24, the 5th August 1977

No. E-38013(2)/3/77-Pers.—On transfer from Dewas Shri V. G. Thatte relinquished the charge of the post of Commandant CISF Unit, Bank Note Press, Dewas with effect from the afternoon of 5th July 1977.

L. S. BISHT, Inspector GeneralCISF

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

INDIA SECURITY PRESS,

Nasik Road, the 16th July 1977

No. 696/A.—The undersigned hereby appoints Shri Shiv Raj Sharma as Purchase Officer in the India Security Press, Nasik Road in the revised scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 in a temporary capacity, with effect from 15th July, 1977.

D. C. MUKHERJEA, Gnl. Manager

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL

COMMERCE, WORKS & MISCELLANEOUS

New Delhi, the 28th July 1977

No. ADMN.I/2(1)V/1799.—The A.G.C.W. & M. New Delhi has been placed to promote Shri M. R. Gupta, Section Officer (Audit & Accounts) as temporary Accounts Officer on provisional basis in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from the forenoon of 6-7-77 in the office of the Sr. Dy. Accountant General, Commerce Works & Misc., Bombay, until further orders.

The 8th August 1977

No. Admn.I/2(1)/V/1848.—The A.G.C.W. & M. New Delhi has been pleased to promote Shri K. R. Burman (Section Officer, Audit and Accounts) as Accounts Officers in the scale of Rs. 840—1200 with effect from 15-7-77 (FN) in the Office of the Sr. Deputy Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous, Calcutta on temporary and provisional basis.

S. S. MANN,
Deputy Accountant General

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
KARNATKA

Bangalore, the 2nd August 1977

No. ESI A4/77-78 382.—The Accountant General is pleased to promote Shri T. A. Srinivasan, permanent Section Officer to officiate as Accounts Officer in a purely temporary capacity until further orders, without prejudice to the claims of his seniors, if any, with effect from the date of his taking charge.

M. A. SOUNDARARAJAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 3rd August 1977

No. E.B.I.-8-312 77-78/182.—The Accountant General Andhra Pradesh-I, has been pleased to promote Sri R. Rashavan a permanent Section Officer in the Office of the Accountant General, Andhra Pradesh, Hyderabad, to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from 30-7-1977 AN until further orders.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors.

S. MUKHERJEE
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR

SOUTH CENTRAL RAILWAY

Secunderabad, the 5th August 1977

No. Au/Admn./II/5/II/638.—Shri A Sandanasamy, Permanent Audit Officer of South Central Railway retired from Government service on superannuation with effect from 31-7-1977 (Afternoon).

S. MUKHERJEE,
Deputy Chief Auditor

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta-16, the 3rd August 1977

No. 40/77/G.—The President is pleased to confirm the following officer in the grade of ADGQF Gr. I/GM Gr. I with effect from the dates shown against each :

1. Shri J. B. Saxena, Offg. GM(SG)—1st Nov. 1974.
2. Shri S. P. Sinha, Offg. GM(SG)—1st Apr. 1975.
2. Shri P. D. Pant, Offg. GM(SG) (Retd)—14th Oct. 1975.
4. Shri R. G. Deolalikar, Offg. GM(SG)—1st Feb. 1976.
5. Dr. V. M. I. Nambissan, Offg. GM(SG)—1st Apr. 1976.
6. Shri J. C. Marwaha, Offg. ADG Gr. I/GM Gr. I—1st May, 1976.

M. P. R. PILLAI
Assistant Director General,
Ordnance Factories

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 8th August 1977

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/302/55-Admn(G)/5718.—The President is pleased to appoint Kumari S. K. Grewal, Deputy Chief Controller of Imports and Exports (Non-CSS) as Joint Chief Controller of Imports and Exports in the office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi purely on ad hoc and temporary basis for a further period of three months with effect frm 1-7-77 or till the regular arrangements are made, whichever is earlier.

A. S. GILL
Chief Controller of Imports and Exports

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-400020, the 2nd August 1977

No. CER/6/77.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 34 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948 and with the previous sanction of the Central Government, I hereby make the following further amendment in the Textile Commissioners Notification No. T.C.(4)/58, dated the 7th March 1958.

In the Table appended to the said Notification in the column 2, for the existing entries against S. No. 2, the following shall be substituted :—

(i) Joint Director of Industries (Textiles)/ Dy. Director of Industries (Textiles).

(ii) All Regional Officers (Industries) Additional and Joint Director of Industries and Dy. Director of Industries.

(iii) All Project Officers (Industries) (R.I.P.)

(iv) All Community Project Officers.

(v) All District Industries Officers.

G. S. BHARGAVA
Joint Textile Commissioner

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER, SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 12th July 1977

No. A-19018/261/76-Admn.(G).—On the recommendations of the UPSC the President is pleased to appoint Shri M. Mahabala as Deputy Director (Mechanical) in the Small Industry Development Organisation with effect from the forenoon of 2nd June, 1977.

2. Consequent upon the appointment as Deputy Director (Mechanical) Shri Mahabala assumed charge of the post Deputy Director (Mechanical) in the Small Industries Service Institute, Trichur with effect from the forenoon of 2nd June, 1977.

V. VENKATRAYULU
Deputy Director (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 8th August 1977

No. A-1/1(86)VII.—This Dte. General Notification No. A-1/1(86), dated 27-5-77 regarding reversion of Shri Ardaman Singh, Director of Supplies (Grade I of the Indian Supply Service) to the post of Deputy Director of Supplies (Gr. II of the Indian Supply Service) with effect from the afternoon of 25th April, 1977 is hereby cancelled.

No. A-1/1(1100).—The President is pleased to appoint Shri C. Karunakaran, Sales Tax Inspector in the office of the Agrl. Income Tax and Sales Tax, Munnar, Devicolam to officiate as Assistant Director (Sales Tax) (Grade I) in the DGS&D, New Delhi on deputation basis with effect from 18-7-77 (FN) and until further orders.

KIRAT SINGH
Dy. Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

ADMN. SEC. A-6

New Delhi, the 8th August 1977

No. A-17011(124)/77-A6.—The Director General of Supplies and Disposals hereby appoints on ad hoc basis Shri K. K. Sabharwal permanent Examiner of Stores (Engg.) in the NI Circle, New Delhi to officiate as Asstt. Inspecting Officer (Engg.) in the same Inspection Circle under this Directorate General wef the afternoon of 22nd July, 1977 and until further orders.

SURYA PRAKASH
Dy. Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

New Delhi, the 29th July 1977

No. A.11011/17/77-A6.—The President is pleased to appoint Brig. M. M. Talwar, a retired Military Officer, on reemployment basis as Officer on Special Duty in the scale of Rs. 2250—125/2—2500 in the Inspection Wing of the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi for a period of one year wef the forenoon of 2nd June, 1977.

2. On appointment as Officer on Special Duty, Brig. M. M. Talwar has been adjusted against the post of officer on Special Duty created vide Min. of Supply and Rehabilitation (Deptt. of Supply) letter No. I-12012/8/76-ES.II, dated 31-1-1977.

SURYA PRAKASH
Dy. Director (Administration)

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 3rd August 1977

No. A-19/12(85)/77-Estt.A.—In continuation of this department's notification of even number dated 26th May, 1977, Shri G. C. Sharma, permanent Superintendent, Indian Bureau of Mines is allowed to continue as Assistant Administrative Officer in grade 'B' post in Indian Bureau of Mines on ad hoc basis upto 18-6-1977.

The 5th August 1977

No. A.19011(10)/70-Estt.A.—On his attaining the age of Superannuation on 31st May, 1977 (afternoon) Shri M. C. Basu Rai Choudhary, Pmt. Mineral Economist and Offg. Superintending Mineral Economist is relieved of his duties in the Indian Bureau of Mines with effect from the afternoon of 31st May, 1977, and accordingly struck off the strength of the effective establishment of this department.

The 6th August 1977

No. A-19011(171)/73-Estt.A.—On his attaining the age of superannuation on 31st March, 1977 (afternoon) Shri A. K. Raghvachari, Pmt. Administrative Officer and Offg Senior Administrative Officer, is relieved of his duties in the Indian Bureau of Mines with effect from the afternoon of 31st March, 1977 and accordingly struk off the strength of the effective establishment of this department.

No. A-19011(218)/77-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Jain, to the post of Chemist in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the forenoon of 30th July, 1977.

No. A-19012(94)/77-Estt.A.—Shri R. S. Pathania, permanent Head Assistant of Indian Bureau of Mines is appointed to officiate as Assistant Administrative Officer in the Indian Bureau of Mines with effect from the afternoon of 30th July, 1977, until further orders.

L. C. RANDHIR
Head of Office
for Controller
Indian Bureau of Mines

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

New Delhi-1, the 6th August 1977

No. F. 11/2-1/75-A.1.—Shri Rajinder Prasad, Asstt. Chemist Gr. I is appointed to officiate as Scientific Officer (Class II-Gazetted) on purely ad hoc basis wef 1-8-1977 (F.N.) and until further orders. This ad hoc appointment will not confer any right for claim for regular appointment and will not count for the purpose of seniority and for eligibility for promotion to next higher grade.

S. N. PRASAD
Director of Archives

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

NATIONAL ATLAS ORGANISATION

Calcutta-700019, the 1st August 1977

No. 29-16/77-Estt.—The undermentioned Field Officer and Senior Research Assistants are appointed as Junior Technical Officer in the National Atlas Organisation on a purely temporary and adhoc basis with effect from the date mentioned against them, until further orders :

Name	Date of appointment
Field Officer	
1. Shri S. R. Biswas	8-7-1977 (F.N.)
Senior Research Assistants	
1. Shri B. N. Ghosh	8-7-1977 (F.N.)
2. Shri A. K. Sarkar	8-7-1977 (F.N.)
3. Shri J. B. Sen	8-7-1977 (A.N.)
4. Shri Shri Ram	8-7-1977 (F.N.)

S. P. DAS GUPTA
Director

DIRECTORATE GENERAL, ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 5th August 1977

No. 5/43/73/SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Lakpa Richoo Bhutia as Programme Executive, All India Radio, Kurseong in a temporary capacity with effect from 27th June, 1977 and until further orders.

No. 4(87)/77-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Bala Sanjeevi Manikka as Programme Executive, All India Radio, Coimbatore in a temporary capacity with effect from 7th July, 1977 and until further orders.

The 6th August 1977

No. 5(18)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Kum. Usha Anand as Programme Executive, All India Radio Simla in a temporary capacity with effect from afternoon of 28th June, 1977 and until further orders.

The 8th August 1977

No. 5(116)/70-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Dev Singh Vimal as Programme Executive, All India Radio, Najibabad in a temporary capacity with effect from 15th July, 1977 and until further orders.

No. 4/40/77 SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Chandrakant Sadashiv Barve as Programme Executive, All India Radio, Pune in a temporary capacity with effect from 21st July, 1977 and until further orders.

The 9th August 1977

No. 4/7/77-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Kum. Alice Zothanmuii Fanai as Programme Executive, All India Radio, Aizawl in a temporary capacity with effect from 26th July, 1977 and until further orders.

No. 4/10/77-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Kum. Veena Ganpatrao Chaphalkar as Programme Executive, All India Radio, Pune in a temporary capacity with effect from 28th July, 1977 and until further orders.

No. 4/58/77-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Bimal Chandra Gupta as Programme Executive, All India Radio, Jagdalpur in a temporary capacity with effect from 25th July, 1977 and until further orders.

No. 4/61/77-SI.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Sushil Robert Banerjee, as Programme Executive, All India Radio, Lucknow, in a temporary capacity with effect from 27th July, 1977 and until further orders.

N. K. BHARDWAJ
Deputy Director of Administration
for Director General

New Delhi, the 9th August 1977

No. 10/12/72-SIII.—On repatriation from Delhi State Industrial Development Corporation, New Delhi Shri S. C. Srivastava has joined as Assistant Engineer in the office of Regional Engineer (North) All India Radio, New Delhi with effect from 13-6-77 after availing of leave for 91 days from 10-2-77 to 10-6-77.

HARJIT SINGH
Deputy Director of ADMN.
for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 1st August 1977

No. 17-11/74-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri M. K. Gupta to the post of Architect in the Directorate General of Health Services, New Delhi with effect from the forenoon of 24th May, 1977 in a temporary capacity until further orders.

The 3rd August 1977

No. A19019/40/76(AIIHPH)Admn.I.—Consequent on his premature retirement, Dr. P. K. Datta, relinquished charge of the post of Associate Professor of Bio-chemistry & Nutrition, All India Institute of Hygiene & Public Health, Calcutta on the afternoon of the 30th June, 1977.

S. P. JINDAL,
Deputy Director Administration (O&M)

New Delhi, the 8th August 1977

No. A.11017/1/76-CGHS.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. (Miss) K. K. Solanki to the post of Ayurvedic Physician in the Central Government Health Scheme, at Kanpur on temporary basis with effect from the forenoon of 11th July 1977.

No. A.11017/1/76-CGHS.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. (Smt.) K. N. Easwary Amma to the post of Ayurvedic Physician in Central Government Health Scheme at Madras on temporary basis with effect from the forenoon of 28th June, 1977.

Dr. S. Nesamany, Ayurvedic Physician on ad hoc basis was relieved of his post under CGHS, Madras with effect from the forenoon of 28th June, 1977.

No. A.11017/2/76-CGHS.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. (Miss) Baljit Kal to the post of Homoeopathic Physician in the Central Government Health Scheme on temporary basis with effect from the forenoon of 12th July, 1977.

N. S. BHATIA
Deputy Director Admn. (CGHS)

New Delhi, the 2nd August 1977

No. A-12026/8/77-D.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri C. S. Chavan to the post of Technical Officer, Central Drugs Standard Control Orgn. Santa Cruz Airport, Bombay with effect from the 1st July 1977 in a temporary capacity and until further orders.

The 5th August 1977

No. A-12025/2/76-D.—The Director General of Health Services hereby appoints Shri C. Samual Devaprasad as Drugs Inspector in the West Zone Officer of the Central Drugs Standard Control Organisation of the Directorate General of Health Services at Bombay in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 11th July, 1977 and until further orders.

S. S. GOTHOSKAR
Drugs Controller (India)
for Director General of Health Services

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

DIRECTORATE OF EXTENSION

New Delhi-1, the 4th August 1977

No. F.2-11/76-Estt.(I).—The ad hoc appointment of Shri N. Sivarama Krishnan in the post of Asstt. Exhibition Officer (Grade I) has been continued beyond 16-7-1977 to 23-7-1977.

CHANDRA PRAKASH
Director of Administration

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE MARKETING & INSPECTION

(BR. HEAD OFFICE)

Nagpur, the 3rd August 1977

No. F.5/11/77-DII.—For the purpose of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Customs Notification No. 124 dated 15-9-1962, I hereby authorise the following officers to issue Certificate of Grading from the date of issue of this notification in respect of Myrobalans which have been graded in accordance with the provision of the Myrobalans Grading and Marking Rules as amended from time to time and formulated under Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act 1937 (I of 1937) :—

Name	*Designation*
1. Shri M. C. Chakraborty	Assistant Marketing Officer.
2. Shri P. J. Chimalwar	Assistant Marketing Officer.
3. Shri T. M. Mustafi	Dy. Senior Marketing Officer.

J. S. UPPAL,
Agricultural Marketing Adviser
to the Government of India

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

(DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY)

Bombay-400 001, the 18th July 1977

No. Ref. DPS/2.1(1)/77-Adm/16899.—Director, Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints the following Storekeepers in the Hyderabad Regional Unit of this Directorate as Assistant Stores Officers on an ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in the same Directorate for the period mentioned against each :—

1. Shri V. V. Nair, SK HRSU, from 18-10-76 to 16-5-77, *vice* Shri C. Samuel, ASO, granted leave.
2. Shri H. R. Dua, SK HRSU, from 8-2-77 to 16-3-77, vice Shri M. N. H. Rao, ASO granted leave.
3. Shri R. C. Nayar Storekeeper, Stores Unit (DPS), AMD, from 17-5-77 to 30-7-77, *vice* Shri C. Samuel, ASO.

The 27th July 1977

No. DPS/23/4/77-Est/17611.—Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri B. I. Rao, Storekeeper, Stores nit (DPS), HWP, Talcher to officiate as Assistant Stores Officer on an ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in the same Directorate with effect from June 3, 1977 (FN) to July 12, 1977 (AN) *vice* Shri R. N. Guha, Assistant Stores Officer granted leave.

B. G. KULKARNI
Assistant Personnel Officer

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(INDIAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT)

New Delhi-3, the 6th August 1977

No. E(I)04393.—The Director General of Observatories, hereby appoints Shri K. C. Subbaiah, Offg. Superintendent, Headquarters officer of the Director General of Observatories, New Delhi, to officiate as Assistant Meteorologist for a period of 50 days from 26-7-77 to 13-9-77.

Shri Subbaiah, Officiating Assistant Meteorologist remains posted to the Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi.

No. E(I)05481.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri S. N. Bhan, Professional Assistant, Headquarters Office of the Director General of Observatories, New Delhi to officiate as Assistant Meteorologist for a period of Eightynine days with effect from the forenoon of 27-7-77 to 23-10-77.

Shri Bhan, Officiating Assistant Meteorologist remains posted to the Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi.

No. E(I)05868.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri Chander Parkash, Professional Assistant, Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi to officiate as Assistant Meteorologist for a period of 50 days from 20-7-77 to 7-9-77.

Shri Chander Parkash, Officiating Assistant Meteorologist remains posted to the Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi.

No. E(I)06059.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri S. C. Gupta, Professional Assistant, Headquarters Office of the Direcor General of Observatories, New Delhi, to officiate as Assistant Meteorologist for a period of 50 days with effect from the forenoon of 15-7-77 to 2-9-77.

Shri Gupta, Officiating Assistant Meteorologist, remains posted to the Headquarters Office of the Director General of Observatories, New Delhi.

No. E(I)06106.—The Director General of Observatories, hereby appoints Shri V. Dayal, Professional Assistant, Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi to officiate as Assistant Meteorologist for a period of 50 days with effect from the forenoon of the 30-7-77 to 17-9-77.

Shri Dayal, Officiating Assistant Meteorologist, remains posted to the Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi.

No. E(I)06754.—The Director General of Observatories, hereby appoints Shri N. Rangachary who was officiating as Assistant Meteorologist till 30-6-77 vide this office Notification No. E(I)06754, dated 4-5-77 at C.W.C. Visakhapatnam under the Director, Regional Meteorological Centre, Madras, as Assistant Meteorologist on regular basis in an officiating capacity in India Meteorological Service, Group B (Central Civil Service, Group B) with effect from the forenoon of 31st May, 1977 and until further orders. Shri Rangachary remains posted to C.W.C. Visakhapatnam.

No. E(I)07540.—Consequent on acceptance of his resignation, Shri G. S. Mahi, Officiating Assistant Meteorologist, Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi, India Meteorological Department was relieved on the afternoon of 21st July, 1977 to enable him to take up appoinment with the Punjab Agricultural University, Ludhiana (Punjab).

No. E(I)08054.—The Director General of Observatories, hereby appoints Shri N. J. Lakhole, Professional Assistant, Meteorological Centre, Bhopal under the office of the Director, Regional Meteorological Centre, Nagpur as Assistant Meteorologist in Indian Meteorolgical Service, Group B (Central Civil Service, Group B) in an officiating capacity with effect from the forenoon of 25th May 1977 and until further orders. Shri Lakhole remains posted as Meteorological Centre, Bhopal.

The 8th August 1977

No. E(I)/06736.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri R. K. Bansal, Professional Assistant, Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi, to officiate as Assistant Meteorologist for a period of FIFTY days with effect from the forenoon of 16th July 1977 to 3rd September 1977.

Shri Bansal, officiating Assistant Meteorologist, remains posted to the Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi.

The 9th August 1977

No. E. (1) 01008.—The Director General of observatories hereby appoints the undermentioned Professional Assistants, to officiate as Assistant Meteorologist as follows :

Sl. No.	Name	Period		Office to which posted
		From	To	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	S/Shri			
1.	B. Gopinatha Rao	6-7-77	20-8-77	Dy. Director General of Observatories (Climatology) Pune.
2.	Shri H. R. Ganesan	6-7-77	20-8-77	
3.	P.K.E. Raja	6-7-77	20-8-77	Dy. Director General of Observatories (Forecasting), Pune.
4.	R.M. Saxena	5-7-77	31-8-77	Dy. Director General of Observatories (Instruments), New Delhi.
5.	R.C. Dubey	6-7-77	20-8-77	Director, Agricultural Meteorology, Pune.
6.	R. Chaudhury	6-7-77	20-8-77	Director (Instruments), Pune.
7.	T.M. Sambamurthy	6-7-77	20-8-77	Regional Meteorological centre Bombay.
8.	B. G. Lele	9-7-77	20-8-77	
9.	K.K. Bhowmik	7-7-77	20-8-77	Regional Meteorological Centre, cutta.
10.	S.R. Biswas	7-7-77	20-8-77	
11.	N.B. Ghosh	7-7-77	20-8-77	
12.	S.K. Basu	7-7-77	20-8-7	
13.	A.K. Mukherjee	16-6-77	19-8-77	
14.	N.C. Mukherjee	17-6-77	19-8-77	
5.	B.B. Roy	4-6-77	31-8-77	Meteorological Centre, Gauhati under. Regional Met. Centre, Calcutta.
6.	S.R. Seshadri	6-7-77	31-8-77	Regional Met,
17.	V. Sundaresa Rao	6-7-77	20-8-77	Centre, Madras.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	S/Shri			
18.	V.M. Varadarajan	*20-7-77	7-8-77	*In continuation of earlier officiation allowance vide this office notification No. E (1) 01008 dated 13-6-77.
19.	P. Venkata Rama Rao	17-6-77	19-8-77	C. W. C. Visakhapatnam under Regional Met. Centre, Madras.
20.	Chail Behari	7-7-77	31-8-77	Regional Met. Centre, New Delhi.
21.	Bhawani Datt	4-7-77	20-8-77	Meteorological Centre, Srinagar Under Regional Met. Centre, New Delhi.

M. R. N. MANIAN
Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 30th July 1977

No. A-32012/3/77-ES.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri V. H. Menon, Superintendent, as Administrative Officer (Group 'B' post) with effect from the forenoon of 8th June, 1977, on ad hoc basis in the office of the Regional Director, Madras Region, Madras Airport, Madras.

No. A-32012/3/77-ES.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri K. Kishore, Superintendent, as Administrative Officer (Group 'B' post) with effect from the forenoon of 1st July, 1977, on ad hoc basis, in the office of the Aerodrome Officer, Safdarjung Airport, New Delhi, vice Shri K. C. Jouhar, Administrative Officer granted leave.

V. V. JOHRI
Asstt. Director of Admn.
for Director General of Civil Aviation.

New Delhi, the 28th July 1977

No. A-32014/2/77-E.A.—The following Assistant Aerodrome Officers who were officiating on ad hoc basis, reverted to their substantive post of Aerodrome Assistant (Class III Non-Gazetted) with effect from the 1st July, 1977 forenoon.

S. No., Name & Station

1. Shri H. S. Sandhu—Amritsar.
2. Shri C. V. Joseph—Madras.
3. Shri K. C. Jharia—Juhu (Bombay).

P. C. JAIN,
Asstt. Director Admn.

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 5th August 1977

No. 1/433/77-EST.—Shri K. Unnikrishnan, Technical Assistant, Headquarters Office, Bombay, has been appointed as Assistant Engineer, in an officiating capacity, purely on *ad hoc* basis, in the same office, with effect from the forenoon of 2nd July, 1977, and until further orders.

No. 1/434/77-EST.—Shri V. N. A. Unnithan, Technical Assistant, Headquarters Office, Bombay, has been appointed as Assistant Engineer, in an officiating capacity in the same office, purely on *ad hoc* basis, with effect from the forenoon of 2nd July, 1977, and until further orders.

No. 1/436/77-EST.—Shri M. K. Das, Technical Assistant, Calcutta Branch, has been appointed as Assistant Engineer, in an officiating capacity purely on *ad hoc* basis, in the same Branch, with effect from the forenoon of 2nd July, 1977 and until further orders.

No. 1/437/77-EST.—Shri S. P. Sinha, Technical Assistant, Arvi Branch, has been appointed as Assistant Engineer, in an officiating capacity, purely on *ad hoc* basis, in the same branch, with effect from the forenoon of 2nd July, 1977, and until further orders.

No. 1/438/77-EST.—Shri T. C. Mendes, Supervisor, Bombay Branch, has been appointed as Deputy Traffic Manager, in an officiating capacity, in Madras Branch with effect from the forenoon of the 11th July, 1977, and until further orders.

The 6th August 1977

No. 1/227/77-EST.—Shri M. P. Vasu Pillay, Perm. Dy. Traffic Manager, Madras Branch, has retired from service, with effect from the afternoon of 30th June, 1977, on attaining the age of superannuation.

P. G. DAMLE
Director General

Bombay, the 2nd August 1977

No. 1/369/77-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri Bhagat Singh, Supervisor, New Delhi Branch as Deputy Traffic Manager, in an officiating capacity in the same Branch, for the periods given below, against short-term vacancies :—

From *To*

(1) 12-6-76—10-7-76.
(2) 23-8-76—1-10-76.
(3) 1-11-76—31-12-76.
(4) 17-1-77—19-2-77.
(5) 21-2-77—18-3-77.

No. 1/431/77-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri R. K. Anand, Technical Assistant, New Delhi Branch as Assistant Engineer in an officiating capacity in the same Branch, for the period from 16-5-77 to 30-6-77 (both days inclusive), against a short-term vacancy.

The 3rd August 1977

No. 1/338/77-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri A. K. Bose, Superintendent, New Delhi Branch, as Assistant Administrative Officer, in an officiating capacity in the same Branch, for the period from 8-11-76 to 9-3-77 (both days inclusive), against a short-term vacancy

M. S. KRISHNASWAMY
Administrative Officer
for Director General

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Baroda, the 21st June 1977

No. 8/77.—Shri L. D. Parmar, permanent Superintendent of Central Excise, Group 'B', Inspection group of Nadiad Division shall retire of Superannuation pension in the afternoon of 30-6-1977.

H. R. SYIEM.
Collector of Central Excise

Kanpur, the 8th July 1977

No. 86/77.—Shri C. M. Bhatnagar, officiating Superintendent, Central Excise, Group 'B' Meerut handed over the charge of Supdt (Prev) Central Excise, Meerut in the afternoon of 31-5-77 to Sri Amreek Singh, Supdt., Central Excise, Meerut and retired from Government service on the attaining the age of superannuation in the afternoon of 31-5-77.

The 27th July 1977

No. 91/77.—Consequent upon his promotion to the grade of Administrative Officer, Central Excise, Group 'B' vide Collector, Central Excise, Kanpur's Estt. Order No. I/A/75/77, dated 1st June 1977 issued under endt. C. No. II-145-Estt/75/25416, dated 1st June 1977 in the pay scale of Rs.

650— 30— 740— 35— 810— EB— 35— 880— 40— 1000— EB—40—1200, Shri H. C. Motwani, Office Superintendent Central Excise assumed the charge of Administrative Officer, Central Excise, Agra in the forenoon of 4th July 1977.

K. S. DILIPSINHJI
Collector

Shillong, the 3rd August 1977

No. 7/77.—Shri Amanat Ali Hazarika, a permanent Inspector, Customs & Central Excise, Shillong Collectorate was appointed to officiate as Superintendent Group 'B' until further orders. Shri Hazarika assumed charge of Superintendent Group 'B', Customs & Central Excise, Tura on 27th June 1977 (F.N.).

No. 8/77.—Shri Amiya Kumar Das Purkayastha, a permanent Inspector, Customs & Central Excise, Shillong Collectorate was appointed to officiate as Superintendent Group 'B' until further orders. Shri Das Purkayastha assumed charge as Superintendent Group 'B', Customs & Central Excise, Agartala on 22nd July 1977 (F.N.).

K. S SAHA
Collcetor

Patna, the 27th July/8th August 1977

C. No. 11 (7)-Et. /77/9647.—In pursuance of this office Estt. Order No. 271/76 dated 20-10-76 and Estt. order No. 99/77 dated 20-4-77 appointing twelve inspectors of Central Excise Customs to officiate as Supdt. Central Excise/Customs Group 'B' in the scale of Pay Rs. 650-30-740-35-810-E.B.-35-880-40-1000 E.B.-40-1200/- plus usual allowances as admissible under rules as modified under Estt. order No. 121/77 dated 1-6-77, the following officers have assumed charge as Supdt. Central Excise/Customs at the places and with effect from the date and hours indicated below against each :—

Name	Place of posting	Date of assumption of charge
S/Shri		
1. U. S. Dubey	Monghyr Range	30-5-77 (F.N.)
2. G.N. Verma	Tisco-I Range	29-6-77 (F.N.)
3. Choudhary Md. Safuillah	Supdt. (Prev.) C. Ex., Jamshedpur	15-11-76 (F.N)
4. J.P. Sinha	Patcypur Range	5-11-76. (F.N.)
5. C. S. Prasad	Supdt. (Prev.) C. Ex, H. Qrs. Office, Patna.	23-5-77 (F.N.)
6. Anwar Ahmed	Bairgania, Cus. (Prev.)	30-6-77 (F.N.)
7. Ram Pujan Tewari	Supdt. (Audit) C. Ex. Hqrs. Office, Patna.	10-5-77 (F.N.)
8. Kusheswar Pd. Verma	Nirmali Cus (Prev.)	16-5-77 (F.N.)
9. Jagdish Pd.	Tisco-I Range	30-4-77 (F.N.)
10. Jagnarain Pd.	Motihari Cus (Prev.)	25-4-77 (F.N.)
11. Rajendra Pd. Choubey	Jandeha Range	7-6-77 (F.N.)

H. N. SAHU
Collector

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-22, the 4th August 1977

No. A-19012/614/76-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri Rattan Singh, Supervisor, as Assistant Engineer in the pay scale of Rs. 650—30—740— 35— 810— EB— 35—880—40—1000—EB—40—1200 on a purely temporary and ad hoc basis w.e.f. the forenoon of 12th August, 1976 until further orders.

Shri Rattan Singh assumed charge of the post of Assistant Engineer, Lower Lagyap Construction Sub-Division No. III, Rangpul (Sikkim) under Superintending Engineer, Lower Lagyap Hydel Project Circle, Gangtok, Sikkim w.e.f. the above date and time.

J. K. SAHA
Under Secy.
for Chairman, C. W. Commission

NORTHERN RAILWAY

New Delhi, the 3rd August 1977

No. 11.—Shri B. L. Trikha officiating Deputy Chief Engineer, Kashmere Gate, Delhi retired from Railway Service with effect from the afternoon of 30th June, 1977.

J. N. KOHLI
General Manager

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Notice under Section 445(2) of the Companies Act, 1956

In the matter of M/s. Overseas Trading Corporation Pvt. Ltd.

Delhi, the 2nd August 1977

No. Co. Liqn. 3143/13801.—By an order dated the 12-5-1977 of the Hon'ble High Court of Delhi M/s Overseas Trading Corporation Private Limited has been ordered to be wound up.

Notice Under Section 445(2) of the Companies Act, 1956
In the matter of M/s. Jakom Industrial Corporation Pvt. Ltd.

Delhi, the 2nd August 1977

No. Co. Liqn 3331/13802.—By an order dated the 26-8-1976 of the Hon'ble High Court of Delhi M/s Jakom Industrial Corporation Private Limited has been ordered to be wound up.

R. K. ARORA
Asstt. Registrar of Companies,
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Shanthi Chit Funds Private Limited

Madras-600 006, the 3rd August 1977

No. 5740/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shanthi Chit Funds Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Jeyamani Chit Funds Private Limited

Madras-600 006, the 6th August 1977

No. 5606/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jeyamani Chit Funds Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Rabia Chit Funds Private Limited

Madras-600 006, the 6th August 1977

No. DN/5669/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rabia Chit Funds Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Shah Foundries Private Limited

Madras-600 006, the 6th August 1977

No. 6016/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Efficient Printers Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Madras Merchandise Private Limited

Madras-600 006, the 8th August 1977

No. DN/1517/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Madras Merchandise Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Polyester Fibres Limited

Madras-600 006, the 8th August 1977

No. DN/5599/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Polyester Fibres Limited has this day been struck off the Register and the said company as dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Projects and Advisory Services Private Limited

Madras-600006, the 8th August 1977

No. DN/5853/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Projects and Advisory Services Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

K. PANCHAPAKESAN
Asstt. Registrar of Companies,
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Shah Foundries Private Limited

Ahmedabad, the 4th August 1977

No. 1884/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shah Foundries Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

J. G. GATHA
Registrar of Companies,
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Parasrampuria Lime Industries Private Ltd., Jaipur

Jaipur, the 2nd August 1977

No. STAT/1069.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Parasrampuria Lime Industries Private Ltd., Jaipur, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Vindhya Chit Fund Private Ltd., Jaipur

Jaipur, the 2nd August 1977

No. STAT/1228.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vindhya Chit Fund Private Ltd., Jaipur, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. M. K. Finance and Trading Company Private Ltd.,

Jaipur, the 2nd August 1977

No. STAT/1211.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. M. K. Finance and Trading Company Private Ltd., Jaipur, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Shiban Chemicals and Fertilizers Private Ltd., Jaipur

Jaipur, the 2nd August 1977

No. STAT/1602.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Shiban Chemicals and Fertilizers Private Ltd., Jaipur, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

R. D. KUREEL
Registrar of Companies,
Rajasthan, Jaipur

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Victory Films (Private) Limited

Calcutta, the 6th August 1977

No. 2/275/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Victory Films (Private) Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Neptune Electronics Private Limited

Calcutta, the 6th August 1977

No. 28261/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Neptune Electronics Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Bogra Coal Company Private Limited

Calcutta, the 6th August 1977

No. 28637/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Bogra Coal Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Daga Coal Traders Private Limited

Calcutta, the 6th August 1977

No. 28639/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Daga Coal Traders Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Premier Polyclinic Private Limited

Calcutta, the 6th August 1977

No. 29231/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of Premier Polyclinic Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Nega Jemehari Coal Company Private Limited

Calcutta, the 6th August 1977

No. 28638/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of Nega Jemehari Coal Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. C. NATH
Asstt. Registrar of Companies,
West Bengal

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Allahabad, the 18th July 1977

Income-tax Act, 1961—Section 123 (1) & (2)
Jurisdiction of I.A.Cs. of Income-tax in C.I.T., Allahabad Charge—

C. No. 81 (c)/I.A.C./Tech./77-78.—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 123 of the Income-tax Act, 1961, I the Commissioner of Incometax, Allahabad hereby make the following amendments to the Notification C. No. 284/Tech./C.I.T.-Jurs./77-78, dated 4-5-77.

Against existing item 3 of Column 3, Ghazipur is to be added at Sl. No. 4.

Sl. No.	I.A.C. Range	Number of Circle or Sub-charge included in the Range.
1	2	3
3.	Varanasi	4. Ghazipur

This notification shall be deemed to take effect from 1-6-1977.

SHEIKH ABDULLAH
Commissioner of Income-tax
Allahabad

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 9th August 1977

Ref. No. RAC. No. 63/77-78.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Part of 6-15-1479, 1480 & 1496 at Gurba-Abadi Road, Nizamabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registrating Officer at
Nizamabad on 24-3-1977
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiton of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Thodupunoori Anjamma, W/o T. R. Pandari, residing at Devi-Road, Nizamabad.

(Transferor)

(2) Smt. Padma Lingamma, W/o Padma Chinnaiah, H. No. 7-3-6 at Mirchi Compound, Nizamabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever, period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Mill (without Machinery) being part of the Premises bearing M. No. 6-15-1479, 1480 and 6-15-1496 situated at Gurba-Abadi Road, Nizamabad, on the area of 1811.11 Sq. Yds consisting of godowns, hall, open platform mill etc., registered vide Doc. No, 1315/17 in the Office of the Sub-Registrar Nizamabad bounded on :—

East : Open place,
West : Gurba-abadi Road,
North : Venkatesh Mill,
South : M. Bansilal Rice Mill.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 9-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL

Bhopal, the 8th August 1977

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/879/77-78.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
One kachcha House with open land Municipal House No. 15/613 (Part), situated at Rikhya Para Ward.
Jawahar Nagar, Raipur, situated at Raipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur on 27-1-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sudhir Kumar Bose S/o Shri Sarat Chandra Bose, R/o Budha Para, Raipur (M.P.).

(Transferor)

(2) Shri Deenmani Shankar Purohit S/o Shri Shivlal Purohit,
R/o Mahatma Gandhi Road, Raipur (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Kachcha House with open land, Municipal House No. 15/613 (Part), situated at Rikhya Para Ward, Jawahar Nagar, Raipur (M.P.).

R. K. BALI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 8-8-1977.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BHOPAL

Bhopal, the 8th August 1977

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/878/77-78.—Whereas I, R. K. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
An open plot of land (undeveloped) admeasuring 1,35,804 sq. ft. out of Khasra No. 181 & 182, Gram-Todi, Mandsaur (M.P.), situated at Gram-Todi, Mandsaur (M.P.)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at
Mandsaur on 7-1-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Abha W/o Shri Anil Kumar Gupta
2. Shri Susheel Kumar S/o Lala Dalel Singh Gupta
3. Shri Nanalal S/o Shri Eklingji Soni.
All R/o Mandsaur (M.P.)
4. Shri Suresh Chand S/o Gopikishan Goyal, R/o Neemuch (M.P.).

(Transferor)

(2) M/s. Rajaram & Bros., Mandsaur (M.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land (undeveloped) admeasuring 1,35,804 sq. ft. out of Khasra No. 181 & 182, Gram Todi, Mandsaun (M.P.).

R. K. BALI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 8-8-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6

Madras-6, the 30th July 1977

Ref. No. 2/DEC/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 62, situated at Varada Muthiappan Street, George Town, Madras-1 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sowcarpet, Madras (Doc. No. 327/76) on 1-12-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/ or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

9—216GI/77

(1) Mrs. M. Kumudavalli Thayar,
W/o Padmavathi Chetty,
No. 8-A, Railway Border Road,
T. Nagar, Madras-17.
(Transferor)

(2) Shri N. Subbanna,
52, Kandappa Chetty Street,
George Town, Madras-1.
(Transferee)

(3) 1. Shri N. Seshagiri Rao
2. Shri S. Lakshmiah Chetty.

[Persons in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1,624 sq. ft. with building thereon at door No. 62, Varada Muthiappan Street, George Town, Madras-1.

S. RAJARATNAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 30-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6

Madras-6, the 30th July 1977

Ref. No. 6/DEC/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sur. No. 15/2, situated at Punjai Idayar Melmugam village, Namakkal taluk,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Velur (Doc. No. 1666/76) on 6-12-1976
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market vafue of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri V. E. Chandrasekharan,
S/o V. K. Eswara Iyer,
Agraharam, Velur P.O.
Namakkal taluk, Salem district.

(Transferor)

(2) Smt. M. Saraswathi,
W/o Shri N. K. Marudan,
5-A, East Street,
Velur, Namakkal taluk,
Salem district.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons wihin a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 20½ cents in survey No. 15/2 at Punjai Idayar Melmugam village, Namakkal taluk, Salem district.

S. RAJARATNAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 30-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-6

Madras-6, the 30th July 1977

Ref. No. 9/IDEC/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
70, situated at Mannarsami Koli Street, Rayapuram, Madras-13,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rayapuram (Doc. No. 876/76) on 3-12-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Mrs. Pattammal, W/o Shri A. Sambandam
2. Shri S. Sekhar, S/o Shri A. Sambandam
3. Mrs. Rani, W/o Shri Shanmugam,
No. 51, Mannarsami Koil Street,
Madras-13.

(Transferor)

(2) Smt. S. Sakkareswari,
W/o Shri S. Chellakkannu,
70, Mannarsami Koil Street,
Rayapuram, Madras-13.

(Transferee)

(3) M/s. 1. Dharmarajan.
2. Balakrishnan
3. Subramaniam
4. Thangamani
5. Murugasamy.

[Persons in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 ground and 69 sq. ft. with building thereon at door No. 70, (R.S. No. 976), Mannarsami Koil Street, Rayapuram, Madras-13.

S. RAJARATNAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6
(Incharge)

Date : 30-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6

Madras-6, the 30th July 1977

Ref. No. 43/DEC/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Pymash No. 44/5,
situated at New Pallipalayam Road, East Colony, Komarapalayam,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Komarapalayam (Doc. No. 1623/76) on 18-12-1976
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri N. Gurusamy Naidu,
2. Shri Gururaj, S/o Naidu,
3. Shri Gurunarayanan, S/o Shri Gururaj, } as guardian.
4. Miss Gurulakshmi, D/o Shri Gururaj,
No. 425, Salem Main Road, Komarapalayam.
(Transferor)

(2) Smt. Susila Ammal, W/o Balakrishnan, 160B, O.R.P. Colony Road, West Colony, Komarapalayam.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 31013 sq. ft. with building thereon at Pymash No. 44/5, Kangeyandar), New Pallipalayam Road, East Colony, Komarapalayam.

S. RAJARATNAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6
(Incharge)

Date : 30-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6

Madras-6, the 30th July 1977

Ref. No. 44/DEC/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 25, situated at Kakka Thoppu Street, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Pudumandapam (Doc. No. 1463/76) on December, 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. K. V. Seethalakshmi Varassar,
Koduvayoor, Variam, Koduvayoor P.O.
Palghat district, Kerala State.

(Transferors)

(2) Smt. S. Saradha,
W/o M. Sankaranarayanan,
Agent, Nedungadi Bank,
19, West Hanumarkoil Street,
Villupuram 605 602.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2530 sq. ft. with building thereon at door No. 25, Kakka Thoppu Street, Madurai.

S. RAJARATNAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6
(Incharge)

Date : 30-7-1977
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 9, FOREST PARK, BHUBANESWAR-9.

Bhubaneswar 9, the 17th August 1977

Ref. No. 49/77-78/IAC(A/R)/BBSR.—Whereas, I, A. N. MISRA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Khata No. 756 situated at Mouza-Bidyadharpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jeypore (Koraput) 25.11.1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) (1) K. M. Hussain, (2) K. M. Noor, (3) K. M. Sultan (4) K. M. Abdulla, (5) K. M. Madhar (6) K. M. Kutubuddin, (7) K. M. Ameer (8) K. M. Sabir Hussain, (9) K. M. Samsur Rahiman (10) K. M. Gouse, (11) K. M. Tajuddin (12) K. M Sabbain Begum, Jeypore town, Dist. Koraput.
(Transferor)

(2) Kailash Chand Agarwala, S/o Jaidayalmul Agarwala, Jeypore town, Dist. Koraput.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Upstair building situated in western row of Main Road, Jeypore over Plot No. 69 and 70/1106 with an extent of Ac. 0.080 decimals and Ac. 0.009 decimals respectively of Khata No. 756 of Bidyadharpur mouza of Jeypore town.

A. N. MISRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhubaneswar

Date : 17-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27.

Bangalore-27, the 11th August 1977

C.R. No. 62/7320/76-77/ACQ/B.—Whereas, I, J. S. RAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Residential house bearing corporation No. 14, Lewis road, Cooke town, Civil station, Bangalore-(Dn. No. 49) situated at (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of (1908) in the office of the Registering officer at Shivajinagar Bangalore, Document No. 1733/76-77, on 16-12-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Mrs. Minnie Bhagiam Snehalata Chellappa w/o Theopnilus Chellappa and her two daughters (2) Mrs. Priyalata Shakila Telfer (Nee Chellappa) (3) Miss Mallika Suhasini Chellappa, all residing at 8, Khader Nawaz Khan road, Nungambakkam Madras-34.

(Transferors)

(2) Miss Mohini Tolaram, D/O Sri Tolaram, No. 16, Dacosta lay out, Bangalore-5.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1733/76-77, dated 16-12-76]

All that piece and parcel of land together with the dwelling house and out houses thereon now bearing corporation No. 14, Lewis road, Previously No. 7A and earlier No. 8, Lewis road, Cooke town, Civil Station, Bangalore (Dn. No. 49).
Boundaries :

N. No. 6, High Street,
S. Lewis road
E. 7, Lewis road and
W. Vacant land.

J. S. RAO
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 11-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 29th July 1977

C.R. No. 62/7846/76-77/ACQ/B.—Whereas, I, J. S. RAO,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable poperty having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Show room bearing corporation No. 36-C New No. 7, Dickenson Road, Civil Station, Bangalore, situated at
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivajinagar, Bangalore Doc. No. 1703/76-77 on 13-12-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exeeeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri Lakshmidas C. s/o Sri. B. Chabildas 14-A Infantry road, Civil Station, Bangalore.
(Transferor)

(2) M/s C.R. and Sons, 36-C, Dickenson road, Bangalore-42. rep. by its Prop. Sri C. R. Chander.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1703/76-77, dated 13-12-76]

All that piece and parcel of land with all the buildings standing thereon, bearing corporation old No. 36-C, New No. 7, Dickenson road, Civil Station, Bangalore, comprising ground floor and the first floor.

Boundaries :

E. Shop. Premises old No. 36-B, New No. 8, Dickenson road.
W. Private property and property of Mrs. Sorbhai.
N. No. 2 Street and
S. Dickenson road.

J. S. RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 29-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 9th August 1977

C.R. No. 62/7658/76-77/ACQ/B.—Whereas, I, J. S. RAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Building bearing No. 28 Old and New No. 29, with ground floor and first floor, Sheshadri road, Ananda Rao circle, Bangalore-9, (D. No. 14)
situated at
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhinagar, Bangalore, Doc. No. 1723/76-77 on 15-12-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri S. N. Srinatha s/o late Dr. S. N. Prasad, No. 30, Sheshadri road, Anandarao Circle, Bangalore-9.
(Transferor)

(2) M/s Hotel Dwaraka, No. 721, I Cross, V Block, Rajajinagar, Bangalore-10 rep. by its Partner Sri N. R. Narayana Rao.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1723/76-77, dated 15-12-76]

Building bearing old No. 28 and New No. 29, with ground floor and first floor, Sheshadri road, Ananda Rao Circle, Bangalore-(9)(Dn. No. 14)

Boundaries :

E. Devendrappa's house.
W. Premises No. 27, 220 and Subedar Chatram road.
N. Property No. 30 and 30/1 of S. N. Srinath and Sheshadri road

and

S. Property of Smt. Chokkamma and Smt. Sheethamma and also partly premises No. 217 of S. N. Srinath with a passage measuring N to S=33' E to W=25'.

J. S. RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore

Date : 9-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE

Bangalore-27, the 8th August 1977

C.R. No. 62/7664/76-77/ACQ/B.—Whereas, I, J. S. RAO, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. House premises bearing No. 15, Old No. 50/56, Thotada Devaragalli, 19th Division, situated at Bangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Gandhinagar, Bangalore, Doc. No. 1693/76-77 on 15-12-76, for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Padmavathamma W/o late A. Annayyappa, No. 453, Rajamahal vilas Extn, Bangalore-6.

(Transferor)

(2) Shri Jitendra Kumar, R. Shah, S/O Sri, Ramaniklal, Prop. Prakesh cycle stores, Arcot Srinnivasachar street, Bangalore-2.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1693/76-77, dated 15-12-76]

House Premises bearing No. 15, Old, No. 50/56, Thotada Devaragalli, 19th Division, Bangalore.

Boundaries :—

E : Property of Shri A. Ramachandra,
W : Thotada Devaragalli,
N : Nashyada Pillamma galli, and
S : Maryswamy Matada galli.

J. S. RAO
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 8-8-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE

Bangalore-27, the 8th August 1977

C.R. No. 62/7669/76-77/ACQ/B.—Whereas, I, J. S. RAO, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Old No. 34, New No. 3, 1 Main, V. Block, K. P. West extension, Bangalore-20.
situated at
(and more fully described in
the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Gandhinagar, Bangalore, Doc. No. 1653/76-77 on 6/13-12-76, for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. T. R. Jayamma Govinda, w/o R. Govinda, No. 16, IV Cross, IX Block, K. P. West Extension, Bangalore-20.

(Transferor)

(2) Sri M. N. Nagaraja, s/o Sri Nanjaiah, No. 2, Yellappa's House, III Main, New Guddadahalli, Mysore road, Bangalore-26.

(Transferee)

(3) M/s Shivakumar Agency, No. 3, I Main, V Block, K. P. West, Bangalore-20.

[Person(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1653/76-77, dated 6/13-12-76]

All the dwelling house with compound, out house, Garden and Garage etc. bearing Municipal Old No. 34, New No. 3, I Main, V Block, K. P. West extension, Bangalore-20.

Boundaries :—

E. First main road.
W. House of R. Krishnappa.
N. House of Raghunatha Rao Mane and
S. House of B. Basavalingappa.

J. S. RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 8-8-1977
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE

Bangalore-27, the 8th August 1977

C.R. No. 62/7676/76-77/ACQ/B.—Whereas, I, J. S. RAO, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House bearing New No. 1, on site No. 85, II road, Nandidurga extension, Dn. No. 46, Bangalore,
situated at
(and more fully
described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Gandhinagar, Bangalore. Doc. No. 1574/76-77 on 3-12-76, for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Kamalamma J. K. Goud, w/o late J. K. Goud, 2. Sri B. M. Divakar, adopted s/o late J. K. Goud, Both residing at Sorab, Shimoga Dist.

(Transferor)

(2) Sri M. G. Kadali, No. 80, Ranoji Rao road, Basavanagudi, Bangalore-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1574/76-77, dated 3-12-76]

House bearing New No. 1, on site No. 85, II road, Nandidurga extension, Dn. No. 46, Bangalore.

Boundaries :—

E. Property on site No. 89.
W. road
N. Public road and
S. Property on site No. 86.

J. S. RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 8-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 8th August 1977

C.R. No. 62/7679/76-77/ACQ/B.—Whereas, I, J. S. RAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. premises bearing old No. 20 and New No. 22 and present No. 5, 10th cross, situated at Cubbonpet, Bangalore (Dn: No. 43).
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Gandhinagar, Bangalore, Doc. No. 1567/76-77 on 1-12-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri S. Anand s/o M. Sadashivappa 2. Sri S. Ashok s/o M. Sadashivappa 3. Sri M. Sadashivappa. All residing at 178, 5th Main road, IV Block, Jayanagar, Bangalore. For Nos. 2 and 3, P. A. Holder, is Sri S. Anand.

(Transferor)

(2) Smt. K. V. Rajeswari, w/o B. Thimmanna, 10th cross, Cubbonpet, No. 5, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1567/76-77, dated 1-12-76]

Premises bearing old No. 20, New No. 22 and present No. 5, 10th cross, Cubbon Pet, Bangalore. (Dn. No. 43).

Boundaries :

E. 10th cross road.
W. Kattaiah's house.
N. Devanahalli Puttamma's house and
S. Rangappa's house.

J. S. RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 8-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
BANGALORE-27

Bangalore-27, the 29th July 1977

C.R. No. 62/9282/77-78/ACQ/B.—Whereas, I, J. S. RAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No.
vacant site bearing corporation New No. 7, VI cross road, situated at Huchins road, Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivajinagar, Bangalore, Doc. No. 137/77-78 on 20-4-77, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object,

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Pillamma w/o Sri T. Nagappa No. 14, Jayamahal Extension, Bangalore.

(Transferor)

(2) Sri V. Ramanjulu Naidu s/o late Venkataswamy Naidu, No. 6, Ashoka road, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 137/77-78, dated 20-4-77]

Vacant site bearing corporation New No. 7, VIth cross road, Huchins road, Bangalore.

Boundaries :

E. Site No. 63,
W. 25' wide road 6th cross.
N. site No. 57, and
S. 25' wide cross road.

J. S. RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 29-7-77
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1684.—Whereas, I, B. S. Dehiya being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per schedule situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) Jullundur on Dec. 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Narinder Kumar S/o Sh. Badri Dass, Mandir Wali Gali, Bazar Nauhrian, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Dharam Chand s/o Gurdita Mal Subhash Chand & Ashok Kumar Ss/o Sh. Dharam Chand, W E-70 Ali Mohalla, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop as noted in the Registration sale deed No. 4991 of Dec. 76 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 11-8-77
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1685.—Whereas, I B. S. Dehiya being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Green Park, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Dec. 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Shri Gurpreet Singh
2. Jai Prit Singh ss/o Sh. Rajinder Singh
3. Rajwant Kaur d/o Sh. Rajinder Singh
4. Rajinder Knur wd/o Rajinder Singh
491-Model Town, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Sadhu Singh S/o Sh. Narain Singh S/o Sh. Waryam Singh 455-L Model Town, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registering sale deed No. 440 of Dec. 76 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 11-8-77
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1686.—Whereas, I B. S. Dehiya being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Mota Singh Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Dec. 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

11—216GI/77

(1) Shri Lal Singh S/o Chowdhry Sher Singh S/o Sh. Gurmukh Singh R/o Shebhajpur Teh. Dasuha. (Transferor)

(2) Shri Harbans Singh Atwal S/o Sh. Gurbachan Singh S/o Sh. Thakar Singh R/o Chitti Teh. Jullundur. (Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration sale deed No. 4464 of Dec. 76 of the Registering Authority Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 11-8-77
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1687.—Whereas, I B. S. Dehiya
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Preet Nagar, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in Jan. 77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Sarla Kaushal D/o Sh. Ram Saran Dass, 2. Sh. Romesh Chandra S/o L. Ram Sarup GA of Smt. Sheela Gupta D/o Sh. Ram Saran Dass, 816-Kalkaji extension New Delhi.
(Transferor)

(2) 1. Shri Jai Kishan, 2. Romesh Kumar, 3. Sh. Jai Parkash S/o Sh. Patram Dass C/o M/s. Bansal Steel Supply Co., Tanda Road, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in the Registration sale deed No. 5686 of Jan. 77 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 11-8-77
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1688.—Whereas, I B. S. Dehiya being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Ladowali Road Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Jan. 77 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice, under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurdit Singh S/o Sh. Natha Singh, Vill. Gill, Teh. Nakodar. (Transferor)

(2) Shri Piara Singh S/o Sh. Jiwan Singh E. G 46-A Ladowali Road, Jullundur. (Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in the Registration sale deed No. 5671 of Jan 77 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 11-8-77
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1689.—Whereas, I, B. S. Dehiya being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. As per Schedule situated at Basti Danish Mandan (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Jullundur on Dec. 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Amar Singh S/o Sh. Jaimal Singh C/o Satnam General store, near Puran Chand Chakki, Basti Danish Mandan H. No. W.O.—129, Jullundur. (Transferor)

(2) Shri Jagdish Lal, Satish Kumar SS/o Sh. Hari Chand H. No.—114, Basti Danish Manda Jullundur. (Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter;

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration sale deed No. 4530 of Dec., 76 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 11-8-77
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1690.—Whereas, I, B. S. Dehiya
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Lidhran (Jullundur)
and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Jan. 77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arisng from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajinder Singh S/o Sh. Karam Singh, Amrit Bazar, Kapurthala.
(Transferor)

(2) Shri Jaswant Singh S/o Sh. Vir Singh 31-Modern Colony, Jullundur.
(Transferee)

(3) Shri Sardul Singh & Darshan Singh S/o Sh. Kartar Singh.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration Sale Deed No. 5548 Jan. 77 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 11-8-77
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1691.—Whereas, I, B. S. Dehiya being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Lidhran, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Jan. 77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Darshan Singh, Mohinder Singh S/o Sh. Kirpa Singh, Nakodar Road, Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Jaswant Singh S/o Sh. Vir Singh, 31, Modern Colony, Jullundur.

(Transferee)

(3) Shri Sardul Singh & Darshan Singh S/o Sh. Kartar Singh.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration sale deed No. 5667 of Jan. 77 of the Registering Authority Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 11-8-77
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1692.—Whereas, I, B. S. Dehiya being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Lidhran, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on Jan. 77
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Amrik Singh Surjit Singh SS/o Sh. Kirpa Singh, Nakodar Road, Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Jaswant Singh S/o Sh. Vir Singh, 31-Modern Colony, Jullundur.

(Transferee)

(3) Shri Sardul Singh & Darshan Singh S/o Sh. Kartar Singh.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration sale deed No. 5625 of Jan. 77 of the Registering Authority Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 11-8-77

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1693.—Whereas, I, B. S. Dehiya being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Lidhran Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on Jan. 77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Darshan Singh S/o Sh. Kirpa Singh, Nakodar Road, Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Jaswant Singh S/o Vir Singh, 31-Modern Colony Jullundur.

(Transferee)

(3) Shri Sardul Singh & Darshan Singh S/o Sh. Kartar Singh.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land mentioned in the Registration, Sale deed No. 5584 of Jan. 77 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 11-8-77

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1694.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Lidhran, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on January 1977.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

12—216GI/77

(1) Shri Mohinder Singh S/o Shri Kirpa Singh, Nakodar Road, Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Jaswant Singh S/o Shri Vir Singh, 31-Modern Colony, Jullundur.

(Transferee)

(3) S/Shri Sardul Singh and Darshan Singh, S/o Shri Kartar Singh.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration sale deed No. 5553 of January 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-8-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1695.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Lidhran, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur on January 1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Km. Kartar Kaur D/o Shri Nagina Singh, Nakodar Road, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Juswant Singh S/o Shri Vir Singh, 31-Modern Colony, Jullundur.
(Transferee)

(3) S/Shri Sardul Singh and Darshan Singh, S/o Shri Kartar Singh.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration sale deed No. 5552 of January 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-8-1977
Seal ;

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1696.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Lidhran, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on January 1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Amrik Singh S/o Shri Kirpa Singh, Nakodar Road, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Jaswant Singh S/o Shri Vir Singh, 31-Modern Colony, Jullundur.
(Transferee)

(3) S/Shri Sardul Singh and Darshan Singh, S/o Shri Kartar Singh.
(Person in occupation of the property

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration sale deed No. 5551 of January 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1697.—Whereas, I, B. S. DEHIYA,
being the competent authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the Said Act)
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Lidhran (Jullundur)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on January 1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Surjit Singh S/o Shri Kirpa Singh, Nakodar Road, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Jaswant Singh S/o Shri Vir Singh, 31-Modern Colony, Jullundur.
(Transferee)

(3) S/Shri Sardul Singh and Darshan Singh, S/o Shri Kartar Singh.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respecitve persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration sale deed No. 5550 of January 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-8-1977
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1698.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Lidhran, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on January 1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Nirmal Singh S/o Shri Kirpa Singh, Nakodar Road, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Jaswant Singh S/o Shri Vir Singh, 31-Modern Colony, Jullundur.
(Transferee)

(3) S/Shri Sardul Singh and Darshan Singh, S/o Shri Kartar Singh.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration sale deed No. 5549 of January 1977 of the Registration Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1699.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Basti Guzan, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur on January 1977, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Balwant Singh S/o Shri Gurdit Singh, H. No. 400, Basti Guzan, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Jagdish Raj S/o Shri Munshi Ram, H. No. 12, Basti Guzan, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 Above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration sale deed No. 5492 of January 1977 of Registering Authority Jullundur

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1700.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per Schedule situated at Rama Mandi, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on December 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Duni Chand S/o Shri Briju
Near Hari Singh Sarpanch,
Village Dhina, P.O. Sansarpur.
(Transferor)

(2) Shrimati Santosh Kumar W/o Shri Chander Parkash,
House No. 61/1, Moh. 9, Jullundur Cantt. and
C o Chander Parkash Book Sinder,
Hardyal Road, Jullundur Cantt.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 Above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop as mentioned in the Registration Sale Deed No. 4916 of December, 1976 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1701.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Sodal Road, Julundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on December 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Pritam Kaur W/o Shri Sarbux Singh, National Steel Mfg. Co., Sodal Road, Jullundur. (Transferor

(2) Smt. Swarn Kaur W/o Shri Bhavikhan Singh 2. Bhavikhan Singh S/o Rattan Singh, Village Palahi, Tehsil, Phagwara. (Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 Above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as metioned in the Registration Sale Deed No. 4574 of December 1976 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-8-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1702.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Old Jawahar Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on February 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Savitri Devi W/o Om Parkash,
13-B, Old Jawahar Nagar,
Jullundur City.
(Transferor)

(2) S/Shri Resham Singh, Darshan Singh
Ss/o Shri Prem Singh,
N.A. 252, Krishanpura, Jullundur City.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 Above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 6334 of February 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-8-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 11th August 1977

Ref. No. AP-1703.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per Schedule situated at Old Jawahar Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on April 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Savitri Devi W/o Om Parkash,
13-B, Old Jawahar Nagar,
Jullundur City.

(Transferor)

(2) S/Shri Manohar Singh, Avtar Singh,
Ss/o Shri Prem Singh,
N.A. 252, Krishanpura, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 Above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 51 of April 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 11-8-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 8th August 1977

Ref. No. RAC. No. 62/77-78.—Whereas I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
10-3-281/2,
situated at Masab Tank, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairatabad on 23-12-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Nawab Qutub Yar Jung,
2. Smt. Rasheedunissa Begum,
3. Smt. Nazeerunnisa Begum, all residing at
H. No. 10-3-304 at Masab Tank, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Susheela Devi Marda, W/o Sri Brijmohan Marda,
H. No. 10-3-281/2 at Masab Tank, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 10-3-281/2 at Masab Tank, Hyderabad: bounded on

East : House of Bipin Chandra,
West : House of Mirza Abdulla Baig,
North : Public Road.
South : Property belonging to Vendor.

registered vide Doc. No. 2127/76 in the Office of the Sub-Registrar Khairtabad, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 8-8-1977
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977